द्वि–वार्षिक प्रतिवेदन

अप्रैल 2004 से मार्च 2006

सम्पर्क समाज सेवी संस्था
ग्राम रायपुरिया, तहसील पेटलावद,
जिला – झाबुआ (म.प्र.)
फोन –07391–200137 / 280185
E-mail – ndesai53@rediffmail.com
ndesai52@gmail.com

— अनुक्रमणिका —

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यक्षेत्र व लोगों के बारे में	3
2.	सम्पर्क सामान्य परिचय	3
3.	विकास कार्यक्रम — शिक्षार	5
4.	बुनियादी शिक्षा	7
5.	शालेय शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभियान	8
6.	पालक संघ ने लड़ी हक की लड़ाई (प्रकरण अध्ययन)	11
7.	स्थास्थ्य	12
8.	आजीविका व कृषि	14
9.	जल एवं मृदा संरक्षण	15
10.	वर्षा जल संग्रहण टेंक	17
11.	स्थानीय स्वशासन	18
12.	आजीविका के लिए स्थानीय स्वशासन का उपयोग	18
13.	विकास की राह पर .... (प्रकरण अध्ययन)	19
14.	आयवर्द्धन कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास	19
15.	समूह संगठन (सुधार कार्यक्रम)	21
16.	गुलाव व धर्मा का ग्राम चौपाल ने मिटाया वैमनस्य (प्रकरण अध्ययन)	24
17.	जल पैरवी — बेजा कर्ज मुक्ति अभियान	25
18.	बी. टी. कपास के खिलाफ किसान	26
19.	जन कारवां	27
20.	सरकारी योजनाओं के कियान्वयन की मांग	28
21.	भोजन का अधिकार अभियान	29
22.	बेईमानी के खिलाफ बिगूल छेड़ा (प्रकरण अध्ययन)	30
23.	बच्चों एवं महिलाओं पर आई.सी.डी.एस. योजना का प्रभाव एक अध्ययन	31
24.	पानी के निजीकरण का विरोध	33
25.	मतदाता जागरूकता अभियान	33
26.	सूचना एवं जानकारियों की ताकत	35
27.	विगत समय में प्रकाशित सम्पर्क के प्रकाशन	35
28.	शोध एवं अध्ययन	38
29.	आंतरिक तैयारी — क्षमता विकास के प्रयास	39
30.	प्रशासकीय पहलू	40
31.	नेटवर्को के साथ जूड़ाव	41
32.	हमारे संसाधन सहयोगी	41
33.	संस्था बोर्ड सदस्यों की सूची	42
34.	संस्था के कार्यकर्ता	42
35.	संस्था का वित्तीय विवरण	44

सम्पर्क के निदेशक के तौर पर दो शब्द ....

समाज में रहने वाले सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और सभी अपने जीवन को बेहतर करने के लिये सुरक्षित माहौल में अवसर पा सके, यह नागरिक समाज का आवश्यक पहलु है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इस स्थिति को अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है। किंतु आज भी समाज की संरचना एवं संसाधनों के वितरण पर नजर डाले तो यह स्थिति बिल्कूल उलट दिखाई देती है। देश में लाखों की संख्या में लोग अपने जीवन में दो समय का खाना भी नहीं जुटा पाते, शिक्षा स्वास्थ्य आवास कपड़े की बात कौन करें।

लगभग दो दशकों से झाबुआ क्षेत्र में भील आदिवासियों के साथ काम करते हुए महसूस कर रहा हूँ कि सामाजिक बराबरी के लिये राज्य की जिम्मेदारी पर बात छोड़ने की बजाए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। यह प्रयास राज्य के विरोध में खड़े होने की जगह इस रूप में करना है कि राज्य के अच्छे प्रयासों में सहयोगी हो सके, वही आवश्यकता पड़ने पर राज्य की गलत नीतियों और कामों के खिलाफ खड़ा भी हुआ जा सके। सम्पर्क ने अपने काम के अनुभवों से यही सीखा है कि यदि राज्य के साथ सार्थक बातचीत की जाए और अपने कामो से बनाए गए उदाहरणों को सामने रखे तो सरकारी नीतियों में बदलाव लाया जा सकता है, और इस तरह सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है।

शिक्षा के मौलिक अधिकार, पशुधन विकास, पानी रोको अभियान, कृषि पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव तथा किसानों की इससे उपजी समस्याएं व भोजन के अधिकार को लेकर सम्पर्क ने जन पैरवी के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर प्रयास किया। जिसमें कई सारी संस्थाएं व जन संगठनों ने साथ मिलकर काम किया।

विगत समय में सम्पर्क के अपने प्रयासों में आदिवासी संगठन, लोगों के क्षमता विकास, परिस्थितियों का स्थानीय गरीबों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण तथा सामुहिक पहल ने अनेक ऐसे उदाहरणों को जन्म दिया जब सरकार को अपनी नीतियों और अभ्यासों को लोगों के पक्ष में करने की दिशा में सोचना पड़ा।

सम्पर्क ने प्रयासों में न केवल आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा के लिये भूमि सुधार, कषि, उत्पादन आदि मुद्दों पर ध्यान दिया गया वरन् शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भाईचारा, संगठन, स्वशासन, स्थनीय नेतृत्व आदि पहलुओं को भी उभारा ताकि यह सामाजिक परिवर्तन व बराबरी का प्रयास लगातार चलता रहे और स्थाई हो सके। अपने काम का मूल्यांकन, खास तौर पर पीछे मुड़ कर देखना कठिन तो होता है पर यह सुखद अनुभूति भी देता है जब हम पाते है कि जहाँ से चले थे और आज भी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इससे हमारी दिशा की पुष्टी होती है साथ ही आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है।

विगत दो वर्ष का कार्यकाल सम्पर्क के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ तो विकासात्मक कार्यो के साथ लोगों के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जन पैरवी जैसी गतिविधियां चलायी गई वहीं दूसरी तरफ गॉवों में चल रही सामाजिक परम्पराओं के पुर्नजीवित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों द्वारा किया जाने वाला गोरख धन्धा सम्पर्क के निगाह में रहा जिस पर लोगों के साथ मिलकर लड़ाई जारी है। बेजा कर्ज मुक्ति के लिए हमारा अभियान चल ही रहा है। पर्यावरण और जल संरक्षण की समस्या भी गंभीरतम होती जा रही है जिस पर चेतना जगाने का काम जारी है। लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसी मूलभूत मुद्दों पर तो प्रयास चल ही रहा है।

इन सभी व्यस्तताओं में ये दो साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इस दौरान हमारे कामों को सहयोग देने के लिए हम अपने सभी दाता संस्थाओं का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही हम आभारी हैं उन सभी साथी स्वैच्छिक संस्थाओं व जन संगठनों का जिन्होंने लोगों से जुड़े मुद्दों को प्रदेश स्तर पर विस्तार देने में सम्पर्क की मदद की। हम अपने लक्ष्य समूह के सभी लोगों तथा लोक जागृति मंच के साथियों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे साथ कन्धा मिलाया है। सम्पर्क की परम्परा में अपने काम का प्रतिवेदन हम प्रति दो वर्ष में तैयार करते है। इन दो वर्षो का हमारे प्रयासों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत है । हमें विश्वास है आप सब का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहेगा। हमारे कामों पर आपकी टिप्पणीयों का हमें इंतजार रहेगा।

आपका ही

कार्यक्षेत्र व लोगों के बारें में ....

मध्यप्रदेश का पश्चिमी छोर, मालवा अचंल का आदिवासी बाहुल इलाका है। राजस्थान व गुजरात की सीमाओं से लगा यह क्षेत्र कम वर्षा तथा उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन की वजह से जीवन जीने के प्रमुख संसाधन खेती, पानी से महरूम है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति के आदिवासी निवास करते है। भीलो की अपनी समृद्व परम्परा तथा इतिहास रहा है। इसमें उन्होंने अपने सुदृढ़ सामाजिक संरचना तथा जीवन के संसाधनों की उपलब्ता के साथ ही परम्परागत रूप से सरल जीवन शैली विकसित की थी। कालान्तर में आधुनिक रहन–सहन के तौर तरीकों तथा नए तरह की मांगों के दबाव में उनकी यह व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी। आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के फेर में न तो वे आधुनिक राज्य प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ले पा रहे, न ही उनकी परम्परागत जीवन पद्धति ही बची रह पा रही है। हांलाकि ऐतिहासिक रूप से भील समुदाय का समृद्ध ईतिहास रहा है जो गुप्त साम्रराज्य के समय अपने पूरे वैभव पर था। पर आज हालत बदल गए हैं। रोजी रोटी से मुहताज यह समुदाय पलायन करने के लिए विवश है जिसके बच्चों को शिक्षा दीक्षा तो दूर ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता। कर्ज के दबाव, आजीविका से वंचित यह समुदाय इस व्यवस्था की सबसे दयनीय स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश है।

ऐसे में सम्पर्क संस्था ने आज से करीब 19 साल पहले भील आदिवासी बाहुल क्षेत्र झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक के रायपुरिया गॉव में अपना केन्द्र बना कर काम शुरू किया।

सम्पर्क सामान्य परिचय

सम्पर्क एक पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है जो 1987 से मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में भील आदिवासियों के विकास के लिए प्रयासरत है। सम्पर्क का पंजीयन 1990 में मध्यप्रदेश सोसाईटी पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। संस्था विदेशी दान प्राप्त करने के लिए भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से पंजीकृत है। संस्था को आयकर विभाग की तरफ से गैर लाभकरी संस्था का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। वर्ष 2005 से संस्था को आयकर विभाग की तरफ से 80 जी. श्रेणी मिली हैं।

सम्पर्क की शुरुआत ....

सामाजिक गैर बराबरी के फलस्वरुप जीवन की परिस्थितियों में कठिनाईयां झेलना एक बड़े वर्ग की विविशता रही है। वहीं समाज का एक तबका ऐसा है जो यह मानता है कि समाज में सबको जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चहिए और सबके अपने बेहतरी का अवसर मिले तभी समाज में समानता लायी जा सकती है। इस प्रकार के विचार रखने वाले अनेक लोग समाजिक समानता तथा वंचितो को उनका हक दिलाने के लिए अपने–अपने स्तर पर प्रयास करते रहते हैं। इनमें से कई लोगों ने अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप को संस्थागत स्वरुप प्रदान किया है। सामाजिक परिवर्तन और समानता के लिए हमारे हस्तक्षेप को संस्थागत स्वरुप में चलाने के अनेक फायदे भी हैं। समाज परिवर्तन के अपने सपने को पूरा करने के लिए कई सारे लोग खुद की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संस्थागत हस्तक्षेप के स्वरुप को अपनाते हैं तो कई सारे लोग हस्तक्षेप की सत्तता को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया में जाते है।

सम्पर्क के संस्थागत हस्तक्षेप की कहानी भी कम रोचक नहीं है। संस्था के प्रमुख संस्थापक श्री निलेश देसाई पड़ोस के रतलाम जिले से है। सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार से आए श्री देसाई ने मन में आदिवासी समाज की विषमताओं और जीवन के आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच की अनुपलब्धता हमेशा से ही कचोटती रही। इंदौर स्कूल ऑफ सोशल सांइस से अपनी समाज कार्य में स्नान्तोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री नीलेश देसाई राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया नामक स्थान पर समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र के साथ जुड़कर काम करने लगे। बाद में इस केन्द्र ने झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील में अपने काम का विस्तार किया और निलेश को वहॉ काम संभालने के लिये भेजा ।

श्री देसाई ने चार–पॉच स्थानीय लोगों की टीम बनाकर आदिवासी समाज में चेतना के संदेश नुक्कड़ नाटकों व गीतों के माध्यम से शुरू किया। इस प्रकार के काम करते हुए इन युवकों ने महसूस किया कि सामाजिक गैर बराबरी व लोगों के जीवन स्थितियों में बदलाव के लिये टुकड़ों में इस प्रकार से काम करना शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिये सतत नियोजित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस

विचार के साथ सभी ने मिलकर 'सम्पर्क संस्था' की स्थापना की। अपने स्थापना में चेतना फैलाने व उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रयास कर रहा है।

विजन

सम्पर्क का दर्शन एक ऐसे समतामूलक, शोषण रहित समाज की कल्पना से जुड़ा है, जहॉ लोग संगठित व जागरूक होकर विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करें व उनको अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर मिल सके।

मिशन

अपने कल्पना के समाज की रचना के लिये वर्तमान समाज में सम्पर्क ने अपने हस्तक्षेप के लिये जो मिशन (लक्ष्य) तय किया है वह कुछ इस प्रकार से है ''समाज के वंचित व कमजोर वर्ग को संगठित कर एक न्यायपूर्ण व समानता आधारित समाज की रचना करना, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग भी अपने जीवन की गुणवत्ता, संसाधन तथा आत्मसम्मान को सबके साथ मिलकर अहिंसक तरीके से प्राप्त कर सकें।''

कार्यक्षेत्र

अपने मिशन को कार्यरूप देने के लिये संम्पर्क ने भौगोलिक क्षेत्र के रूप में झाबुआ जिले में पेटलावद ब्लाक को चुना। इस ब्लाक को केन्द्र बनाकर सम्पर्क की योजना थी कि वह पूरे पश्चिमी मध्यप्रदेश मे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में एक विकास के ''मॉडल'' को सामने रखेगा जिसमें पूरे क्षेत्र में सामाजिक समानता व विकास की प्रक्रिया को बल मिल सकें।

इस प्रकार भौगोलिक कार्यक्षेत्र के रूप में सम्पर्क में सीधे हस्तक्षेप का केन्द्र पेटलावद तहसील है किन्तु अपने रणनीतिक कार्यक्रम सुधार, विकास व जनपैरवी के लिहाज से सम्पर्क पूरे मध्यप्रदेश के आदिवासी, गरीब, वंचितों के लिये काम कर रहा है।

रणनीति

सम्पर्क की शुरूआत समाज कार्य व अनुसंधान केन्द्र के एक विस्तार ईकाई के रूप में पेटलावद ब्लाक में जागरूकता व अध्ययन से हुई। कालान्तर में सम्पर्क संस्था के अस्तित्व में आने के बाद से संस्था के नीति नियन्ताओं ने क्षेत्र की सामाजिक व विकासात्मक परिस्थितियों का अध्ययन कर अपने हस्तक्षेप के लिये प्रमुख रणनीति के तौर पर तीन बिन्दुओं की पहचान की। जिसमें विकास प्रकियाओं को मजबूत करते हुए उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर व वंचित वर्ग तक पहुंचाना। दूसरा सामाजिक व विकासात्मक स्थापित संरचनाओं/परम्पराओं में सुधार लाना तथा तीसरे बिन्दु के रूप में सरकारी नीतियों व अभ्यासों को गरीबों के पक्ष में करने लिये जनपैरवी (जन–वकालत) करना शमिल था।

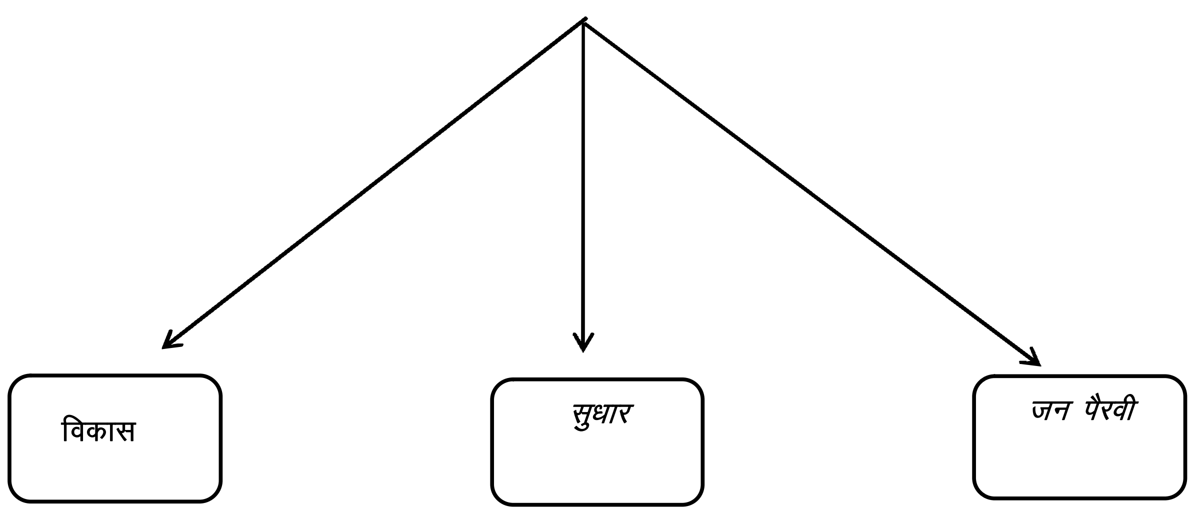

विकास

अपने हस्तक्षेप के लिये विकास बिन्दु के रूप में सम्पर्क की सोच है कि आज के परिवेश में चल रहे विकास प्रकिया का लाभ समाज के सभी वर्गो, विशेष तौर पर अब तक इस विकास से वंचित वर्ग, को मिल सके। इसके अर्न्तगत न केवल इस प्रकार के विकास कार्यक्रमों को सही ढंग से कियान्वित करने में अन्य विकास एजेनसियों की मदद की जाती है वरन् स्वयं सम्पर्क के प्रयासों में इस विकास का '' मॉडल'' खड़ा करने का प्रयास किया जाता है ताकि अन्य संचालन करने वाले ईकाईयों को उदाहरण दिया जा सके।

विगत दो वर्षो में हमारे विकास कार्यक्रमों में संचालन व सहयोग के अनुभव इस प्रकार से रहे–

शिक्षा

शिक्षा विकास की पहली शर्त है। हमारी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर या गणीतिय ज्ञान नहीं वरन् शिक्षा से आशय सक्षमता से है। यह सक्षमता स्थानीय ज्ञान व आधुनिक शिक्षा में समन्वयन से विकसित होती है, जो व्यक्ति को अपने बारे में विश्लेषण प्रकिया में मदद करती है और उसे इस बात के लिये सक्षमता भी प्रदान करती है कि वह अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिये प्रयास कर सकें। सम्पर्क में लिये शिक्षा का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी हासिल कर रोजी–रोटी कमाने की सक्षमता प्राप्त कर लेना नहीं है, वरन् वह व्यक्ति को हर प्रकार से सक्षम बनाने की बात करती है। संस्था अपने बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम में श्रममूलक शिक्षा के दर्शन को केन्द्र में रखती है। जहॉ शिक्षा का अर्थ श्रम से विमुक्त होना नहीं वरन् श्रम का सम्मान करना है। सम्पर्क ने अपने शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक, बालक व पालक को एक विशिष्ट वर्ग के रुप में देखा है, जो काम काजी भी हैं और जिन पर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी है। इस बात को सामने रखते हुए हमने अपने शिक्षा कार्यक्रम को इस रूप में विकसित किया जिसमें शिक्षा विद्यार्थी के लिए बोझ न लगे बल्कि एक रूचिकर अनुभव बने। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि छात्र जिस समुदाय से है, उससे उसका नाता न टूटे। वह अपनी परम्परा, संस्कृति को बरकरार रखते हुए आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें और व्यवहारिक जीवन में ज्यादा सफल हो।

इन आधारों में बुनियादी शिक्षा के लिये सम्पर्क ने चरवाहा बालक, बालिकाओं के लिये शिक्षा की शुरूआत की जो आज गॉवों में रात्रि पाठशालाएं व आवासीय विद्यालय के रूप में स्थापित है। यह आवासीय विद्यालय सम्पर्क ग्राम परिसर में चलता है जहॉ 37 आदिवासी बच्चे पूरे समय रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

यह शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान न होकर मनोरजंक व खेल के दौरान भी की जाती है। सम्पर्क ने मध्यप्रदेश राज्य के पाठ्यपुस्तक में ऐसी रचनात्मक गतिविधियों भी जोड़ी जिसमें कठिन से कठिन विषय भी आसानी से सीखा जा सके। अपने शिक्षा कार्यक्रम में हमने ऐसा प्रयास किया है जिसमें पढ़ाई के अलावा खेल–खेल में चित्र बनाना, खिलौना आदि बनाने का कार्य भी बच्चें सीख सके और जीवन में श्रम के महत्व को समझ सके। हमारे अपने शिक्षा कार्यक्रम में आसपास के वातावरण के आधार पर पर्यावरणीय मुद्दों पर इन बच्चों का ध्यान दिलाने का प्रयास चलता रहता है। साथ ही ऐसा प्रयास किया गया कि ये बच्चें बाहरी दुनिया से भी जुड़ें रहें। इसके लिए जरुरी जानकारियां उन्हें प्रदान करने की कोशिश चलती रहती है। सम्पर्क द्वारा यह भी निरन्तर ध्यान में रखा गया कि बाल प्रतिभा अपने मूल स्वरुप में निखरकर आवे इसके लिये बच्चों द्वारा बालमेला, बाल कार्यशाला, बाल पंचायत व बाल भ्रमण का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चें अपनी प्रस्तुतियां तैयार कर अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं।

चूंकि बच्चों में खोज की इच्छा सदैव रहती है और इस खोज के प्रति बच्चों की लगन को देखते हुये सम्पर्क ने बच्चों को देशी दवाईयों के संग्रहण से देशी मंजन आदि बनाने की कला भी सिखाई। यही नहीं व्यक्तित्व के विकास में समाज एक बड़ा घटक है अतः बच्चों में समुदायिक भावना उत्पन्न करने के मकसद से सम्पर्क द्वारा कई तरह की बाल समीतियों का गठन किया गया ताकि बच्चें इन समितियों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझे उनका नेतृत्व करे व उनका निर्वाह करें उदाहरण के तौर पर श्रमदान समिति ने बच्चे स्वंय आश्रम की साफ सफाई पौधे लगाना, निंदाई–गुड़ाई जैसे कार्यक्रमों को बखूबी निभाते हैं।

बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसमें किये संस्था द्वारा योग, व्यायाम आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर एक सपना जो कि आदिवासी बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये अग्रसर है, वह सतत् जारी है।

विगत समय में शिक्षा कार्यक्रम के हमारे हस्तक्षेप के बाद हमने महसूस किया कि शिक्षा कार्यक्रम में निम्न बिंदुओं पर जोर देने की आवश्यकता है।

1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना।
2. शिक्षक पालक संघ को सक्रिय करना व बैठक में भागीदारी पर जोर।
3. कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण।
4. सरकारी शिक्षा विभाग से जुड़ाव।

वर्ष 2004 में सम्पन्न शिक्षा गतिविधियों का विवरण :–

क.	**गतिविधि का नाम**	**क्रियान्वित**	**सहभागी**			
			बालक	**बालिका**	**कार्यकर्ता**	**योग**
1. बालक विकास केंद्रित गतिविधियां						
1.1	बाल कार्यशाला	2	46	30	6	85
1.2	बाल भ्रमण	1	11	8	2	21
1.3	बाल पंचायत बैठक	2	38	12	5	57
1.4	बालमेला	1	235	111	4	350
	योग		330	161	17	513
2. लोक क्षमता विकास गतिविधियां						
क.	**गतिविधि का नाम**	**क्रियान्वित**	**सहभागी**			
			बालक	**बालिका**	**कार्यकर्ता**	**योग**
2.1	संकुल स्तरीय पालक संघ प्रशिक्षण	7	84	25	14	126
2.2	स्कूल चलो अभियान	1	740	571	818 अन्य बच्चें	2129
2.3	बी. ई. ओ. के साथ बैठक	1	66	32	3	103
कुल			**890**	**628**	**17 कार्यकर्ता + 818 अन्य बच्चें**	**2358**

मोतियों का कार्य करती हुई बालिका

रस्सी से गांय बेल की मूंछे बनाते हुए बालक

वर्ष 2005 में सम्पन्न गतिविधियों का विवरण :

क.	गतिविधि का नाम	नियोजित	क्रियान्वित	सहभागी			
				बालक	बालिका	कार्यकर्ता	योग
1. बालक विकास केंद्रित गतिविधियां							
1.1	बाल कार्यशाला	2	2	19	30	4	55
1.2	चलित विज्ञान पिटारा	6 मा.वि.	6 मा.वि.	292	121	2+19 शिक्षक	435
1.3	बाल भ्रमण	1	3	88	18	10	116
1.4	बाल नेतृत्व शिविर	1	1	227	120	40	387
योग				**626**	**289**	**75**	**993**
2. जन भागीदारी विकास संबंधी गतिविधियां							
क.	गतिविधि का नाम	नियोजित	क्रियान्वित	सहभागी पुरूष	महिला	कार्यकर्ता	योग
2.1	पालक संघ प्रशिक्षण	7	7	77	49	14	140
2.2	स्कूल चलों अभियान	1	1	513	498	670 अन्य बच्चे	1681
कुल				**590**	**547**	**684**	**1821**

बुनियादी शिक्षा

नवंबर 2004 से सम्पर्क ने 10 गांवों में रात्रिशालाएं शुरू की इसके पीछे वजह यह थी कि दिन में जो बच्चें काम के लिए जाते हैं, वह शिक्षा से वंचित न रह जाये। इसके लिए स्थानीय पढ़े–लिखे युवक–युवतियों को शिक्षक के रूप में तैयार किया गया। इन शिक्षकों को सम्पर्क की अवधारणा के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया। रात्रिशालाएं शुरू करने से पूर्व सर्वे कर इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता का आंकलन किया गया। हर गांव में शिक्षा समिति का गठन हुआ और उनके प्रस्तावों के अनुरूप रात्रिशालाएं शुरू की गयी। इन शिक्षा समितियों को ही रात्रि विद्यालय के संचालन व्यवस्था एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाया गया। शिक्षा समिति की माह में एक बार बैठक होती है जिसमें विद्यालय की प्रगति के बारे में बात की जाती है। रात्रिशालाओं से निकले बच्चों को नियमित विद्यालय में 1 से 5 वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाता है। कुछ बच्चों को ब्रिजकोर्स से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारे रात्रिशालाओं के शैक्षणिक सत्र में बच्चों की इतनी तैयारी करायी जाती है कि उनका प्रवेश नियमित स्कूलों में हो सके।

अपने रात्रिशाला कार्यक्रम के दौरान हम अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को भी समझाते है जिससे वे अपने बच्चों को नियमित स्कूलों में भेजने के लिए राजी हो सके। शिक्षा के प्रति जागरूकता के विस्तार से अब ज्यादातर बच्चें स्कूलों की ओर उन्मुख हो रहे है। हमारी अगले दो वर्षों के लिए योजना है कि इस प्रकार के रात्रि विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को संभालने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। हमारी रात्रिशाला के शिक्षकों को नियमित विद्यालयों में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए गांव वालों ने अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है जिसका मानदेय वे आपसी सहयोग से करते है। रात्रि विद्यालयों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है जिससे बच्चों को कुपोषण व अन्य बिमारियों से बचाया जा सके। रात्रि विद्यालय चल रहे गांव में बच्चों को पेयजल मिल सके इसके लिए पानी की टंकियों का निर्माण किया गया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी शिक्षा समिति के पास है।

बुनियादी शाला के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए सम्पर्क ने अपने परिसर में जुलाई 2004 से बुनियादी शिक्षा के लिए पूर्णतः आवासीय विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय की स्थापना के पूर्व आसपास के गांवों के लोगों की एक समिति ने बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक की साकड़ गांव में चल रहे ''आधारशिला'' विद्यालय का भ्रमण किया। उरमूल ट्रस्ट का भ्रमण भी यहां के ग्रामीणों ने कर वहां जारी शिक्षा गतिविधियों को देखा। वापस आकर उन्होंने सम्पर्क से आग्रह किया कि वह भी स्थानीय बच्चों के लिए ऐसे ही स्कूल की स्थापना करे। कक्षा 1 से 5 वीं तक के लिए पूर्णतः आवसीय इस विद्यालय के

संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों ने अपने ऊपर ली है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे वर्ष के लिए 2500 रूपये व 35 किलो अनाज तथा 10 किलो दाल शुल्क के रूप में लिया जाता हैं। पहले वर्ष 25 बच्चों का प्रवेश कराया गया। दूसरे वर्ष कुल 37 बच्चों ने आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इस विद्यालय के 5 वीं कक्षा के सभी 7 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की जिनमें से 4 छात्रों का प्रवेश 6ठवी कक्षा में मॉडल स्कूल में हो गया। अगले शैक्षणिक सत्र में विद्यालय की प्रवेश संख्या को बढ़ाकर 60 करने की योजना है तथा 40 अतिरिक्त बच्चों को गैर आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

बच्चों को देशी भाषा में कविता, गीत, स्थानीय भजन के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। पढ़ाई के साथ सुबह शाम खेल से भी उनको जोड़ा जाता है। शिक्षक स्वयं भी पूरे समय विद्यालय परिसर में रहते है। बच्चों से दोस्ती करने का प्रयास किया जाता है जिससे उनके मन से शिक्षक का डर निकल जाए। एक बार बच्चें शिक्षक को स्वीकार कर ले तो सीखने सीखाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस विद्यालय में बच्चों की शिक्षा की शुरूआत उनकी मानसिकता को समझकर उनके मन से शिक्षा के प्रति भय निकालने की होती है। इसे हम पहली चुनौती मानते है। एक बार बच्चों का विश्वास जीत लिया जाए तो उनके शिक्षा देना आसान हो जाता है। हर सप्ताह बच्चों के साथ बालसभा की जाती है जिसमें बच्चों की समितियां बनाकर उन्हें विद्यालय की व्यवस्थाएं सौंपी जाती है। इससे बच्चों की भागीदारी बढ़ती है और उनमें जिम्मेदारी का बोध भी होता है। इस बालसभा के दौरान पिछले पाठ्यक्रम की चर्चा होती है और अगले सप्ताह के लिए सीखने के लक्ष्य को तय किया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा करते है जिससे बच्चों के व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास हो।

हमारे आवासीय विद्यालय के दो वर्ष की **उपलब्धियां** इस प्रकार है–

- बच्चें शिक्षा के साथ कौशल भी सीख रहे है।
- सुदूर ग्रामीण ईलाकों से आये आदिवासी बच्चें जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था 5 वी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की।
- बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे समाज के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे है।
- अभिभावकों में संतुष्टि का भाव है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है।
- बच्चों ने सम्पर्क के जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें उनकी सराहना हुई।
- रात्रि विद्यालयों से शिक्षा के प्रति जागृति बढ़ी है।
- रात्रि विद्यालयों वाले गांव में दिन का स्कूल भी नियमित हुआ हैं।
- गांव में स्कूल छोड़ने के प्रवृत्ति कम हुयी है साथ ही विद्यालयों में दैनिक उपस्थिति का प्रतिशत भी बढ़ा है।

शालेय शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभियान

सम्पर्क के शिक्षा कार्यक्रम में सभी बच्चें स्कूल जाए इसके लिए एक अभियान नवंबर 2005 से चलाया जा रहा है। इस अभियान से पेटलावद ब्लॉक के 40 गांवों के 3000 परिवारों को जोड़ा गया है। अभियान के पहले हमने बेस लाईन सर्वेक्षण के दौरान यह समझने की कोशिश की कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इनमें कभी न स्कूल जाने वाले बच्चें तथा स्कूल छोड़ चुके बच्चों की गिनती की गई। इन गांवों में करीब 500 बच्चें मिले जो स्कूल नहीं जाते और गहराई से अध्ययन करने पर पाया कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में बालिकाओं का प्रतिशत ज्यादा है। स्कूल न जाने का बड़ा कारण यही निकला कि बच्चों को घर के काम, छोटे भाई–बहनों को संभालना और पशुओं की देखभाल आदि जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते।

आंगनवाड़ी व स्कूलों का सर्वे करके हम इन बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उपायों पर विचार किया। अभी तक हमने 87 बच्चों को ब्रिजकोर्स से जोड़ा है। इस अभियान के तहत समुदाय स्तर पर बाल अधिकार सुरक्षा समितियां गठित की जा रही है जिसमें गांव के तड़वी, युवा तथा महिलाओं के साथ–साथ पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा रहा है। इन समितियों को पूरे अभियान के संचालन तथा गांव में हर बच्चा नियमित शिक्षा प्राप्त कर सके इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार किया जा रहा हैं। इसके लिए समिति सदस्यों के क्षमता विकास का भी प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2004 में शिक्षा कार्यक्रम के तहत हमने बालक–बालिका क्षमता वृद्धि गतिविधियां, समुदाय को सक्रिय करने व सरकारी शिक्षा तंत्र को सक्रिय करने संबंधी गतिविधियो को सम्पन्न किया ।

स्कूल चलों अभियान

शाला जाने से छुटे हुए बालक–बालिकाओं को शाला से जोड़ने के लिए व शिक्षा संबंधी योजनाओं और शिक्षा में लोगों की भागीदारी को लेकर दिनांक 29 जुलाई से 13 अगस्त 2005 तक 12 गांवों में **स्कूल चलो अभियान** चलाया गया। जिसमें 498 महिला 513 पुरूष और 670 बच्चें इस प्रकार कुल 1681 लोगों ने भागीदारी की।

इस अभियान के तहत संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक टीम बनायी गयी। इस टीम द्वारा शाला जाने से वंचित बच्चों को शाला से जोड़ने के लिए शिक्षा योजना व शिक्षा में लोगों की भागीदारी के लिए गांव–गांव में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इन नुक्कड़ नाटकों में बच्चों को शाला भेजने संबंधी व शाला की व्यवस्था, विकास संबंधी कार्यक्रम दिखाये गए। जिसमें पढ़े–लिखे एवं अनपढ़ के अंतर के बारे में, पढ़ाई से होने वाले फायदे व शासन द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली योजनाओं, बालिका शिक्षा और शिक्षा को लोगो की भागीदारी द्वारा किस प्रकार बेहतर बनाया जाए इन सभी बातों की जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक पश्चात् शाला जाने से वंचित बच्चों से अभिभावकों से पढ़ाने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर उनकी समस्या का समाधान कर व गांव के लोगों द्वारा शाला न भेजने वाले अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई करवाने की समझाईश दी गई। इस कार्यक्रम के पश्चात् शाला न जाने वाले व शाला त्यागी बच्चें **आवासीय ब्रीज कोर्स** में दर्ज हुए और शिक्षा में लोगों की भागीदारी से शाला व शिक्षा के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी।

बाल भ्रमण

आदिवासी कामकाजी बच्चों को देश के अन्य हिस्सों के बारे में जानकारी, लोगों के रहन–सहन,खान–पान व संस्कृति से रूबरू कराने के लिये बच्चों के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे दिनांक 31 मई से 3 जून 2004 को गुजरात के अहमदाबाद व गांधीनगर में सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम में 6 गांव के 19 बच्चों ने भाग लिया जिसमें 11 बालक 8 बालिका 2 शिक्षा कार्यकर्ता सहित 21 लोगों ने भाग लिया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में अहमदाबाद शहर के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया गया। जिसमें गांधी आश्रम सफाई विद्यालय, जवाहर बाल वाटिका, चिडियाघर, विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, स्नेक पार्क तथा गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का भ्रमण कराया गया। उक्त स्थानों के भ्रमण से बच्चों को बाहरी परिवेश को जानने का अवसर मिला। बच्चों में वहां के रहन–सहन, खान–पान व अन्य बातों को जाना व समझा। इस प्रकार के आयोजनों से निःसदेह बच्चों में स्थायी समझ का विकास होता है।

बाल पंचायत कार्यशाला

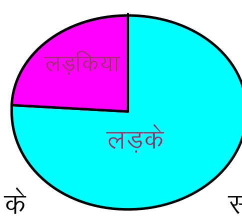

दिनांक 16–17 जुलाई 2004 को सम्पर्क ग्राम परिसर में बालको के संगठन बाल पंचायत को क्रियाशील व सशक्त बनाने के लिये बालकार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रात्रिशालाओं के बच्चों के साथ ही क्षेत्र की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को चुनाव प्रकिया की विस्तार से जानकारी, स्कूल स्तर के बच्चों के संगठन को मजबूत करने संबंधि बातों से अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में 4 गांव के 10 बालक और 3 बालिका व 3 शिक्षा कार्यकर्ता और एक संदर्भ व्यक्ति सहित कुल 17 लोगो ने भाग लिया।

सरकारी बच्चों की कार्यशाला

संस्था द्वारा 17 से 19 सितंबर 2004 को सरकारी शाला के कक्षा 6, 7, 8 व 9 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के साथ विज्ञान पाठ्यक्रम व कक्षा अनुसार विज्ञान विषय की पढ़ाई में आ रही

परेशानियों को प्रयोग के माध्यम से बताने व समझाने के लिए 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन सम्पर्क ग्राम परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में 9 गांव की 9 बालिका व 28 बालक, 1 संदर्भ व्यक्ति व शिक्षा कार्यकर्ता सहित 40 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में बच्चों को सम्पर्क में स्थित सामुदायिक विज्ञान केन्द्र के विज्ञान के मॉड्ल, बहुरूपदर्शक यंत्र, त्रिआयामी आकृति, भाप इंजन, डीजल इंजन के मॉडल, जीवो के प्रतिरूप, मानव अंगो के प्रतिरूप, विज्ञान के नित नये प्रयोग व दिमागी कसरतो से संबंधित पजल्स आदि को बच्चों को दिखाया गया। बच्चों ने पाठ्यक्रम में विभिन्न जीव–जन्तुओं व मानव कंकाल की बनावट की जानकारी तथा धुलनशील पदार्थों के बारे में यहां पर प्रयोग करके देखा। बच्चों को विज्ञान विषय की बहुत सारी वस्तुयें देखकर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यशाला के बाद बच्चों ने अपने–अपने स्कूलों में जाकर अन्य बच्चों को शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी प्रदान की। अन्य बच्चों ने भी सम्पर्क के विज्ञान केंद्र में आने की उत्सुकता प्रर्दशित की । कार्यशाला में भागीदार बच्चों ने बताया कि उन्हें त्रैमासिक परीक्षा में विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करने में मदद मिली।

बाल पंचायत व सरकारी बच्चों की कार्यशाला की जानकारी :–

क्रं.	*दिनांक स्थान*	*भागीदार*			*संपादित गतिविधियां*
		बालक	बालिका	योग	
1.	16 से 17 जुलाई 2004 बाल पंचायत सम्पर्क	10	3	17	बैठक में बाल सरपंचों के अधिकार व शाला संबंधी समस्याओं के समाधान में सरपंच की भूमिका, बच्चों का कार्य विभाजन, बच्चों की उपस्थिति, शाला, फीस इत्यादि पर चर्चा की गयी।
2	सरकारी बच्चों की विज्ञान कार्यशाला सम्पर्क	28	9	40	सरकारी शाला के कक्षा 6,7,8 व 9 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के साथ विज्ञान संबंधी आ रही पढ़ाई में समस्याओं को प्रयोग के माध्यम से समझाने के लिए विज्ञान कार्यशाला की गयी।
योग		38	12	57	
प्रतिशत		67	21		

बाल मेला

दिनांक 22, 23 व 24 नवंबर 2004 को संस्था परिसर में 3 दिवसीय बालमेंले का आयोजन किया गया इस बाल मेले में 42 गांव के 235 बालक व 111 बालिका व 42 कार्यकर्ता सहित 388 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भागीदार बच्चों ने अपनी प्रतिभा को कई कार्यक्रमों के द्वारा सहज रूप से अभिव्यक्त किया। बालमेला सभी बच्चों के अंदर छिपे विविध कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करता है। हर एक बालक के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त होने का यहां मौका मिलता है। इस वर्ष सम्पन्न हुए बालमेले में कुछ इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया जिससे बच्चों को मेले का आनंद तो मिले ही साथ ही कुछ न कुछ सिखने का मौका मिले। इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए संस्था परिसर में खेल व जानकारियों से परिपूर्ण स्टॉल लगाये गये थे। बच्चों को किसी भी स्टॉल में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बालमेले में बच्चों द्वारा जनसहयोग के लिऐ एक किलों अनाज या गांव में पायी जाने वाली जंगली, जड़ी–बुटी या प्रत्येक भागीदार को 5 रूपये सहयोग के रूप में देना तय किया गया। इस वर्ष जनसहयोग के रूप में मक्का 15 किली व 624 रूपये नगद प्राप्त हुए। इस वर्ष बालमेले में विज्ञान केन्द्र की जानकारी, गणित सीखाने की पुर्व तैयारी खेल व पजल्स : भाषा के छोटे स्थानीय गीत, कहानी, कहांवते, पहेलिया और वार्ता : रोजगार लक्ष्यी स्टॉल, स्वास्थ्य शिक्षा व पोषाहार, सिलाई व बटन टांकना, चित्र बनाने का स्टॉल, बाल कटिग, सौर ऊर्जा उपकरण प्रदर्शनी के लिए कुल 9 स्टॉल लगाये गये।

पालक संघ खंड शिक्षा अधिकारी समन्वय बैठक

दिनांक 20 दिसंबर से 22 दिसंबर,2004 को सम्पर्कग्राम परिसर में पालक संघ खंड शिक्षा अधिकारी समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 28 गांव से 66 पुरूष व 32 महिलाए कुल 98 लोगों ने भागीदारी की। इस बैठक में विकासखंड शिक्षा समन्वयक द्वारा भागीदारी की गई। इस बैठक में ग्राम हिरानिनामापाडा की शिक्षक की समस्या, ग्राम भक्तिया में शाला की छत कमजोर बनाने, ग्राम बाछीखेडा में बच्चों को शिष्यवृति न मिलने, ग्राम कचराखदान में शिक्षक की कमीं, ग्राम मनास्या में बालिका शिष्यवृति न मिलने व शिक्षक का समय पर शाला में उपस्थित न होने, ग्राम सामली में शिक्षक बढाने, ग्राम कालीघाटी में स्कूल भवन की मरम्मत करने, नवापाडा में शिक्षक की कमीं संबंधित अनेक समस्याएं भागीदारों द्वारा रखी गई। जिनका शिक्षा अधिकारी ने सकारात्मक रूख अपनाते हुये शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। बैठक में शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा विभाग के तहत चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की ।

आगामी लक्ष्य

- ग्राम स्तर पर गठित पालक संघ को सशक्त करना।
- स्कूल भेजो अभियान के तहत बचे हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को (विशेषकर बालिकाओं को) स्कूली शिक्षा से जोड़ना।
- शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ पालक संघ समन्वय कार्यशाला का आयोजन।
- क्षेत्र की 10 माध्यमिक/हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को विज्ञान से संबंधी जानकारी देने के लिए चलित विज्ञान पिटारा का आयोजन।
- विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा सभा का आयोजन।
- शिक्षा योजना जानकारी का प्रचार–प्रसार एवं चलित पुस्ताकालय को गांव गांव पहुँचाना।

पालक संघ ने लड़ी हक की लड़ाई

पेटलावद तहसील से 25 किमी. दूर बसा एक छोटा सा गांव कालीघाटी, घाटी पर कालका माता का मंदिर होने के कारण इस गांव का नाम कालीघाटी पड़ा। कालीघाटी गांव स्कूल व गामड़ दो फलियों में बंटा हुआ है जिसमें कुल 200 परिवार निवार करते है कालीघाटी गांव अपने आप में एक ग्राम पंचायत है। जिसमें 9 गांव इस पंचायत के अंतर्गत आते है। सरपंच गांव के स्कूल फलिये का होने के कारण शासन द्वारा आने वाली सभी योजनाओं का लाभ इसी फलियें को मिलता है। इस फलियें में ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, कंट्रोल की दुकान, प्राथमिक व माध्यमिक शाला संचालित हो रही है जबकि गामड फलिये में एक भी सरकारी भवन व शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इस वर्ष जनवरी 2004 में शासन द्वारा कालीघाटी गांव में बच्चो के पढ़ने के लिए माध्यमिक शाला भवन निर्माण का प्रस्ताव आया। जिसके अंतर्गत 3.50 लाख रू. राशि मिडिल स्कूल भवन के लिए स्वीकृत हुई। स्कूल भवन बनाने की जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से गांव के लोगों को दी गई। जिसमें भवन निर्माण के लिए स्थान के लिए भी स्कूल फलियें को ही चुना गया। जब स्कूल भवन बनने की बात गामड फलिये के पालक संघ व समिति के लोगो को पता चला तो उस फलिये के लोगो ने शाला भवन अपने फलिये में बनवाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई व इसके लिए गामड़ फलिये व पालक संघ ने मिलकर खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद, जिलाधीश को लिखकर दिया कि कालीघाटी गांव में शाला भवन निर्माण प्रस्तावित हुआ है जो स्कूल फलिये में बनाया जा रहा है। हम गामड़ फलिये के लोग (पालक संघ) यह चाहते है कि यह शाला भवन हमारे फलिये में बने नहीं तो हमे शाला भवन की आवश्यकता नहीं। स्कूल फलिये में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ व सरकारी भवन है जबकि गामड़ फलिये में किसी भी योजनाओं का लाभ

अब तक नहीं मिला है। और इस माध्यमिक शाला में करीबन 7–8 गांव के बच्चें पढ़ने आते है उन बच्चों को भी इस फलिये में पढ़ने के लिए आने में सुविधा होगी। जबकि इस स्कूल फलिये में बच्चों को पढ़ने के लिए आने के लिए एक नाला भी पार करना पड़ता है जिससे बच्चे बारिश के समय में शाला जाने में असमर्थ रहते है। और भवन बनवाने में इस फलिये के लोग श्रमदान द्वारा सहयोग भी करेंगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि गांव की पंचायत द्वारा ग्राम सभा रखी गई जिसमें निर्णय लिया गया कि शाला भवन गामड फलियें में ही बनाया जाए और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शाला स्कूल फलिये में लगेगी व कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक शाला गामड़ फलिये में ही चलेगी। और वर्तमान में गामड फलिये में शाला भवन का निर्माण कार्य पालक संघ की देखरेख में चल रहा है। गांव के लोगो द्वारा भवन निर्माण के कार्य में श्रमदान द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

सम्पर्क ने अपने हस्तक्षेप की शुरुआत में ही पहचान लिया था कि स्वास्थ एक महत्वपूर्ण पहलु है जिसमें सुधार किए वगैर आदिवासी समाज के जीवन उत्थान की गतिविधि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। भील समाज की पारम्परिक स्वास्थ रक्षा की पद्वतियों पर आधुनिक प्रणालिया हावी थी। उनकी भी पहुँच सबके पास तक नहीं बन पा रही थी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो और भी बुरा था। नीम हकीम के चक्कर में समाज अपने स्वास्थ व पैसे दोनों को गवॉ रहा था। ऐसे में सम्पर्क ने पहल कर आदिवासी समाज की परम्परागत स्वास्थ पद्वतियो ंको विकसित करने की बात सोची जहॉ स्वास्थ को देशी जड़ी बूटियों और जीवन पद्वति के माध्यम से प्राप्त करने की बात कही गयी।

आदिवासियों के लिये बेहतर स्वास्थ्य का मुद्वा सम्पर्क को प्राथमिकताओं में हमेशा से देखा गया है। इसलिये सम्पर्क ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। यही नहीं सम्पंर्क द्वारा स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लोगों के बीच ही कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया गया है जो आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुये वहीं पर मौजूद दवाईयों (वनोपज, जड़ी बूटियों) के द्वारा लोगों का रोजमर्रा इलाज कर सके। साथ ही सुरक्षित मातृत्व प्रसव, कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से उबरने के लिये भी संस्था ने क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। सम्पर्क द्वारा बच्चों के टीकाकरण हेतु जागरूकता के दौरान प्रचार प्रसार का कार्य भी इस वर्ष तेजी से किया गया

सम्पर्क द्वारा स्थानीय सरकारी तंत्र के सामने वहॉ की रहवासी जनता स्वास्थ्य समस्याओं को रखकर उनके निराकरण का प्रयास हुआ। जिसके कारण इस वर्ष टीकाकरण का प्रयास तेज हुआ परिणामतः सुरक्षित प्रसव में वृद्दि हुयी। साथ ही साथ समुदाय की स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता व संवेदनशीलता बढ़ी। यह तब साफ देखा गया जब स्वास्थ्य रक्षा हेतु वहीं के लोग सक्रिय हुये। तब ज्यादा लोगों ने सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना शुरू किया।

सम्पर्क ने जन स्वास्थ्य की समस्याओं को मदेनजर रखते हुये जन स्वास्थ्य समिति झाबुआ का भी गठन किया। जिसमें समय समय पर आदिवासियों के स्वास्थ्य के मुद्वों के प्रति सरकारी तंत्र का ध्यान आर्कषित किया गया इसके अलावा संस्था द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य के मुद्वों को जिला प्रदेश एंव राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापकता के साथ उठाते हुये राज्य सरकार पर दवाब बनाने का कार्य भी किया।

सम्पंर्क का यह भी प्रयास रहा कि स्वास्थ्य स्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन के लिये लगातार फालोअप भी किया जाय जिसके अन्दर लगातार बैठके/ प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी इस वर्ष सफलतापूर्वक किया गया।

हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो सके। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़े तथा उन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। गांव स्तर तक जहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं वहां पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समुदाय को तैयार करना।

सम्पर्क ने गांव स्तर पर 40 गांवों में 37 स्वास्थ्य सहेली का चयन कर 11 दिवसीय स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण 4 चरणों में दिया इस प्रशिक्षण के दौरान मानव शरीर, उसकी बिमारियों के बारे में जानकारी, किस जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है तथा उसके उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण के उपरांत सभी को स्वास्थ्य कीट प्रदान किया गया जिससे वे अपने गांव में सामान्य रोगों का उपचार कर सके तथा रोगों की रोकथाम कर सके। इन स्वास्थ्य सहेलियों को शासन की तरफ से गांव में वितरण के लिए दवाईयां मिलती है। हर महीने इन स्वास्थ्य सहेलियों की बैठक होती है जिसमें पिछले माह की गतिविधियों का लेखा–जोखा रखा जाता है। उसके आधार पर उन्हें नयी दवाईयों को स्टॉक दिया जाता है। इस बैठक में मातृत्व मृत्यु, प्रसव, शिशु मृत्यु आदि का विवरण रखा जाता है। बैठक में मातृत्व सहायता योजना के लाभ किन–किन को मिले, कितने संस्थागत प्रसव हुए आदि आंकड़े इन स्वास्थ्य सहेलियों से लिए जाते है। स्वास्थ्य सहेली कार्यक्रम कुछ वर्षों पूर्व सम्पर्क ने 'सेहत' के साथ मिलकर क्रियान्वित किया था। कालांतर में इस कार्य में अपने कार्यकर्ताओं को दक्षकर स्वास्थ्य सहेली कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया गया। इसमें गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाओं/दाईयों को गांवों में प्रायः होने वाली आठ किस्म की मौसमी व सामान्य बीमारियों का उपचार लक्षणों के आधार पर

किया जाता है। दवाईयों के रंग के आधार पर बीमारी अनुसार चयन व छोटे सरलीकृत नाम स्वास्थ्य सहेलियों को सीखाए जाते है। वे चित्रों के आधार पर उपचारित मरीजों का मासिक रिकार्ड भी रखती है। इसमें 2 रू. से 12 रू. तक में खूनी दस्त, बुखार, पेटदर्द, सिरदर्द, हाथ पैरों में दर्द, उल्टी आदि रोगों का उपचार ग्रामीण करवाते है।

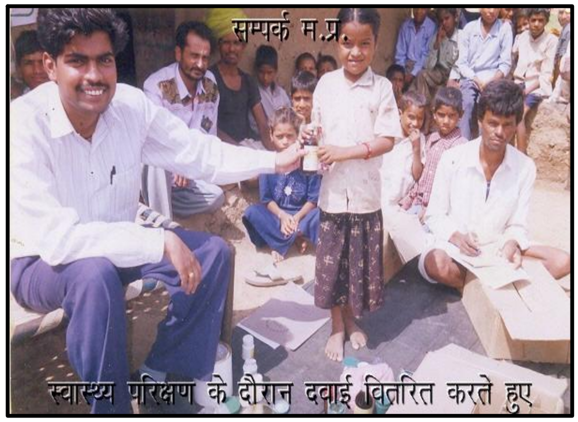

स्वास्थ्य परिक्षण के दौरान दवाई वितरित करते हुए

स्थानीय स्तर पर शासकीय स्वास्थ्य की संस्थाओं साथ समन्वयन स्थापित करने का प्रयास किया गया गांव की बीमारियां, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता के बारे में विभागीय संस्थाओं से चर्चा कर उनका समाधान निकालने की कोशिश की गयी। आंगनवाड़ी के साथ भी समन्वयन करके बच्चों तथा महिलाओं के लिए चल रही स्वास्थ्य एवं पोषण योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किया गया। समुदाय स्तर पर जन जागरूकता व चेतना के लिए स्वास्थ्य रैली, जन स्वास्थ्य सभा, संकुल स्तरीय स्वास्थ्य समिति बैठके, दाई बैठके तथा पोस्टर प्रकाशन जैसी गतिविधियां की गई।

पंचायत स्तर पर चलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के बारें में सम्पर्क ने जन सुनवाई आयोजित की और गॉव – गॉव से तथ्य एकत्र कर मामालों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना संबंधी प्रकरणों को विभाग के सामने रखा गया जिस पर सन्तोषजनक कार्यवाही न होने की स्थित में दो मामलों को राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग के पास दर्ज कराया गया है।

उपलब्धि

- गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच व उपलब्धता में सुधार आया है।
- मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
- समन्वयन के कारण सहकारी तंत्र व स्थानीय लोगों में बेहतर तालमेल बना है।
- एमपीडब्ल्यू, आंगनवाड़ी से प्राप्त सेवाओं का लाभ अपेक्षाकृत ज्यादा लोग उठा पा रहे हैं।
- स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से स्वास्थ्य के बारे में लोगों की संवेदनशीलता व सक्रियता बढ़ी है।
- स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कुरीतियों पर अंकुश लगा है।
- गांव में सुरक्षित प्रसव व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था बनी है।

स्वास्थ्य गतिविधियां अप्रैल 2004 से मार्च 2006 तक एक दृष्टि में

क्र.	गतिविधियां	लाभान्वित व्यक्ति			
		महिला	पुरुष	बच्चों	कुल
1	रोग निदान एवं चिकित्सा शिविर तथा शिक्षा	90	74	9	173
2	रात्रिशाला बच्चों का स्वा. प्रशिक्षण			461	461
3	स्वा. चेतना अभियान (नुक्कड़ नाटक)	600	500	650	1750
4	दाई प्रशिक्षण	40			40
5	पोषणाहार सप्ताह	120	128	362	616
6	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	76	43	113	232
7	ग्राम स्वा. समिति एवं ग्राम	1435	1901		3336
8	टीकाकरण	109	225	-	334

क्र.	गतिविधियां	लाभान्वित व्यक्ति			
9	संकुल स्तरीय स्वा. समिति बैठकें	79	204	-	283
10	विकास खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मी एवं समुदाय समन्वय बैठकें	16	58	-	74
11	जिला स्तरीय जन स्वास्थ्य कर्मी	16 संस्थाओं के 32 सदस्यों ने भाग लिया			
12	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं समुदाय समन्यवयक बैठकें	151	41		192
13	गर्भवती महिला व बच्चों का स्वा. परीक्षण	372		950	1322
14	महिला एवं बाल विकास विभाग समुदाय समन्वय कार्यशाला	52	69		121
15	स्वास्थ्य पर विकास खड स्तरीय जन सुनवाई	250	450		700
16	स्वास्थ्य पर विकास खड स्तरीय स्वास्थ्य रेली	5	10	254	269
17	आंगनवाडी केन्द्रों का अध्ययन	73	240		313
18	सेक्टेर स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक	70	4		74
19	स्वास्थ्य सहेली प्रशिक्षण	13	.	.	13
20	दाई बैठके	34			34
21	स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बैठक	49	56	.	105
22	राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना संबंधी प्रकरण	कुल 144 प्रकरण, ग्रामसभा /जिलाधीश के पास दर्ज है। 113 सुप्रिमकोर्ट के पास दर्ज है।			
23	राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग के पास दर्ज प्रकरण	कुल दो प्रकरण की संयुक्त जांच की मांग की गई है।			
24	ग्रामोत्सव व बाल मेला में स्वास्थ्य जानकारी व	महिला 136	पुरूष 341		योग 471
25	पोषण आहार वितरण	बालक 227	बालिका 120		योग 347

आजीविका व कृषि

भील आदिवासी समाज की आजीविका का मुख्य साधन कृषि व पशुपालन है। कृषि के लिये जमीन व पानी अनिवार्य तत्व है। सम्पर्क ने जब काम प्रांरम्भ किया तो सबसे पहले यही ध्यान में आया कि जब तक स्थानीय समुदाय की आजीविका के साधनों को मजबूत नहीं किया जाता तब तक सामाजिक परिवर्तन व सुधार के कामों को स्थायित्व नहीं दिया जा सकता। आजीविका के साधन न होने की वजह से पलायन यहॉ पर आम चलन रहा है। ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में स्थायी संरचनाएं खड़ी करना मुश्किल काम था। इस स्थिति में संस्था की समझ यही बनी कि स्थानीय स्तर पर समुदाय के लिये रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। चूँकि अधिकांश लोग कृषि कार्यो में लगे थे अतः कृषि को बढ़ावा देने की रणनीति पर जोर दिया गया।

सम्पर्क का नारा है ''गॉव की मिट्टी गॉव में, गॉव का पानी गॉव में'' । इस कथन के अनुरूप हमारा प्रयास यही है कि गॉव में जल संग्रहण एंव खेतों की उर्वराशक्ति के विकास के साथ ज्यादा पैदावार की जाए जिसमें खाद्य सुरक्षा बन सके तथा सम्पन्नता बढ़ सके और लोग पलायन के लिये मजबूर न हो।

लोगों की आजीविका संर्वधन के लिये सर्म्पंक के प्रयास की रणनीति में :–

- जन जागरूकता लाना।
- अभिप्रेरणा देना।
- जनभागीदारी देना।
- समूहों का निमार्ण।
- समूह प्रबन्धन तथा सुदृढ़ीकरण।
- तथा सामाजिक व जनसांख्यकीय सर्वेक्षण।

शामिल है। इस माध्यम से हम किसी भी समुदाय/गॉव विशेष में अपने काम की शुरूआत लोगों को जागरुक करने की प्रकिया से करते है। इसके लिये नुक्कड़ नाटक, बैठक चर्चा अदि का सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही लक्ष्य समूह में लोगों को संगठित करने के लिये विभिन्न समूहों का निमार्ण किया जाता है। समूह निर्माण के समय महिला एंव पुरूष दोनों का समूह बनाया जाता है। एक बार समुदाय के साथ संबध विकसित होने तथा विश्वास का रिश्ता बन जाने के बाद सहभागी ग्रामीण आंकलन (पी.आर.ए.) करके गॉव के विकास की योजना बनायी जाती है। जिसमें जल ग्रहण व भूमि सुधार को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के विकासीय कार्यक्रमों में लोग स्वामित्व का बोध कर सके इसके लिये ग्राम कोष की स्थापना की जाती है और पूरे संसाधन इसी ग्राम कोष में रखे जाते तथा यहीं से संचालित किए जाते है।

लोग अपनी आजीविका के लिये सामुहिक सफल प्रयास कर सके इसके लिये उनके क्षमता विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, जिसमें कृषि संबधित जानकारियों के अलावा लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की जाती है। इस आधार पर आजीविका वर्धन के हमारे प्रयासों में ग्राम स्तरीय संगठनों का सृदृढ़ीकरण व ग्राम में संचालित कार्यों की क्रमबद्व श्रृंखला को ध्यान में रखा जाता है। विगत दो वर्षों में हमारे हस्तक्षेप का प्रमुख लक्ष्य ग्राम जल ग्रहण समितियों का सुदृढीकरण, जेण्डर समरूपता बनाने के लिये महिलाओं की इन प्रकियाओं में भागीदारी बढाने, चल रहे समूहों में आंतरिक व बाह्य ढंग से मूल्यांकन कराने, महासमितियों को मजबूत करने तथा श्रेणी 'सी' (आर्थिक व संसाधनों की दृष्टि से कमजोर) के लोगों को इस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ पहुँचाना था।

इस हेतु संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र में ग्राम जल संग्रहण समितियों में सदस्यों के साथ चर्चा बैठके की गई। ग्राम स्तर पर समूह निमार्ण तथा उन्हें सशक्त करने की प्रकिया पर जोर दिया गया। ग्राम स्तरीय समहों का गठन दो प्रकारों से किया गया। एक तो वे समूह जो गॉव स्तर पर चलने वाली विकास कार्यों में भागीदारी करते है जैसे ग्राम जल ग्रहण विकास समिति, उपयोगकर्ता दल समूह आदि। दूसरी तरफ स्व सहायता समूह (सहेली बचत समिति, साथी बचत समूह) ग्राम विकास कोष समिति आदि समितियां हैं जो सांगठनिक स्तर पर सामाजिक विकास कार्यों को चलाती है। ये समूह आर्थिक सुदृढ़ीकरण की प्रकिया को आगे बढ़ाते है। वर्ष 2005 में कुल 49 गॉवों में 55 गठित जल ग्रहण विकास समितियां का पंजीयन कराकर उनके सदस्यों की भूमिका स्पष्टता तथा कार्यकलापों को मजबूत करने के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए गए।

इस प्रकार की 45 समितियां मध्यप्रदेश सोसाएटी पंजीयन अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत भी की जा चुकी है।

जल एवं मृदा संरक्षण

संस्था ने डेनिडा परियोजनांतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर पानी मिट्टी बचाने का काम किया। समन्वित जलसंग्रहण योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि विभाग को यह जिम्मेदारी दी कि वह कृषि से जुड़े विषयों पर एकीकृत ढ़ंग से काम करे। सम्पर्क की प्रमुख भूमिका कृषि विभाग के साथ तालमेल बनाकर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना था।

सम्पर्क ने अपने हस्तक्षेप के 49 गांव में जलग्रहण विकास समितियों के स्थायित्व के लिए उनका पंजीयन कराकर उनको समिति के रूप में स्थापित किया गया साथ ही उनके सदस्यों के क्षमता विकास का प्रयास किया गया। इन समितियों का आंकलन करने के बाद उनको ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया। ए श्रेणी की समितियों के सदस्यों के पास समिति संचालन के बारे में आवश्यक क्षमता व जानकारी उपलब्ध है। ये अपनी संरचना को आगे बढ़ाने व उसका प्रबंधन करने में सक्षम है। बी श्रेणी के समिति सदस्यों में सक्रियता तो है किंतु जानकारी व क्षमता के लिहाज से उन्हें और सशक्त करने की जरूरत है। सी श्रेणी के सदस्यों के पास प्राथमिक जानकारी ही है उन्हें सक्रियता व समझ के स्तर पर तैयार करने की जरूरत है। इन आधारों पर बांटी गई समितियों के सदस्यों के लिए अलग–अलग क्षमता विकास के कार्यक्रम तय तथा क्रियांवित किए गए। इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग के कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए गतिविधियां की गयी जिससे वे इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सके।

इसी प्रकार संबंधित गांव में ग्राम विकास कोष का गठन किया गया। गांव के सभी परिवारों को इस कोष का सदस्य बनाया गया और सदस्यता शुल्क के रूप में प्रत्येक परिवार से 100 रूपये लिया गया। डेनिडा परियोजना की तरफ से हर सदस्य के पीछे 1000 रूपये इस कोष में जमा किए गए। इस समिति का अध्यक्ष जलग्रहण विकास समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम कोष का इस्तेमाल गांव में परियोजना के बाद गतिविधियों का संचालन करने में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोगकर्ता समूह का गठन किया गया जो गांव में बनी संरचनाओं की देखभाल व उपयोग की परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत दो तरह की समितियां बनाई गई। पहली विकासात्मक समितियां जिसके अंतर्गत जलग्रहण विकास समिति तथा उपयोगकर्ता समूह थे। दूसरी आर्थिक विकास की समितियां जिसमें ग्राम विकास कोष तथा स्वयं सहायता समूह शामिल है।

परियोजना के अंतिम चरण में 13 गांव में कृषि निवेश के बारे में ज्यादा काम किया गया। इन गांवों में जिंक, सल्फेट, जैविक खाद, नीम तेल, फेरोमेन्ट टेप, बीज के रूप में मक्का सोयाबीन आदि का वितरण किया गया। लोगों को कृषि उपयोगी पशु (गाय आदि) दी गयी। लहसुन, प्याज, टमाटर आदि की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इनके कीट प्रदान किए गए। इन सारे सहयोग में हितग्राही किसान के चयन के लिए जमीन की उपलब्धता व गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, किसान की क्षमता व इच्छा शक्ति को आधार बनाया गया। इस गतिविधि का लाभ 13 गांव के 1690. किसान परिवारों को दिया गया।

गतिविधि	**हितग्राहियों की संख्या**	**गतिविधि**	**हितग्राहियों की संख्या**
वानिकी पौधें	297	गेंहू	107
बगीचा	70	चना	83
मक्का	55	तुअर	20
चरी	102	ज्वार	37
मिनी किट	241	सोयाबीन	37
जिंक सल्फेड	75	फेरोमेन ट्रिप	107
नीम का तेल	167	जैविक दवाई	12
लाइट ट्रिप	81	जैविक खाद	18
सिरसम	24	फलदार पौधें	103
निर्धूम चूल्हा	36	गाय / भैंस	18
कुल	**1690**	**कुल**	**542**

ग्राम विकास कोष के संचालन व लेखा प्रबंधन के लिए हर गांव के दो सक्रिय व्यक्तियों को लेखा–जोखा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें न केवल लेखा–जोख की जानकारी दी गयी वरन् तकनीकी व प्रक्रियागत गतिविधियां जैसे बैठक संचालन, दस्तावेजीकरण, प्रस्ताव तैयार करना, आवेदन बनाना आदि बिंदुओं पर उनके क्षमता विकास के लिए प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम का फालोअप अभी भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त जलग्रहण विकास समिति के पंजीयन व आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में उनके सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार के कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 12 पंजीयन प्रक्रिया के बारे में थे शेष अन्य गतिविधियों से जुड़े थे। इन क्षमता विकास गतिविधियों के अतिरिक्त सरकार की तरफ से इन समिति सदस्यों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जो दस्तावेजीकरण व उपयोगकर्ता समूह सुदृढ़ीकरण के बारे में था। सम्पर्क ने 5 किसानों को आयजनित गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए उद्यमिता विकास केन्द्र रतलाम भेजा। जहां पर उन्होंने वाशिंग पावडर, साबुन, नील आदि बनाना सिखाया। पांच महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया जिससे वे अपने परिवार की आजीविका चला सकें।

उपलब्धियां

- लोगों ने सरकारी विभागों के साथ तालमेल बनाना शुरू किया।
- कुछ समितियां स्वायत्त रूप से काम कर रही है।
- लोग संरचनाओं की देखभाल कर रहे है और उनमें स्वामित्व का बोघ है।
- परियोजना द्वारा किए गए सिल्वीपाश्चर के अंतर्गत पौध रोपण के काम को उपयोगकर्ता समूह स्वयं आगे बढ़ा रहे है।
- पानी की टंकियों का प्रबंधन स्वतः किया जा रहा है।
- आयजनित गतिविधियां निरंतर आगे चल रही है।
- ग्राम विकास कोष का संचालन नियमित चल रहा है।

वर्षा जलसंग्रहण टैंक

बरसात के पानी को संग्रहित करने तथा उसके उपयोग से स्कूलों में स्वच्छता व पेयजल को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 12 गांव के 15 स्कूलों में टैंक व शौचालय बनाये गये। इस प्रकार तैयार की गई सभी टैंकों की क्षमता औसतन 50 हजार लीटर प्रति टैंक है। इन टंकियों में शाला की छत का वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता है। जिसका उपयोग बाद में किया जाता है। टैंकों के साथ ही 2 शौचालय हर विद्यालय में बनाये गये जिससे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। इन टैंकों की सफाई व रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय व पंचायत को सौंप दी गयी है। हर स्कूल में लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय बनाये गये जिससे बालिकाओं को काफी सुविधा हुई।

स्थानीय स्वशासन

आज गांव के विकास की प्राथमिक इकाई पंचायत व ग्रामसभा है। ऐसे में सम्पर्क का मानना है कि पंचायतों व ग्रामसभाओं की मजबूती से विकास की प्रक्रियाओं को गांव में तेज व प्रभावी किया जा सकता हैं लेकिन पंचायतों के महत्व प्रक्रियाओं के बारे में लोगों की जानकारी के अभाव के कारण पंचायतें विकास का काम यथेष्ठ तरीके से नहीं कर पा रही हैं। सम्पर्क द्वारा पंचायत की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हमने अपने जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत दो स्तरों पर की है। पहले स्तर पर ग्रामसभा के सभी सदस्यों को पंचायत व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गयी और दूसरे स्तर पर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए गतिविधियां आयोजित की गयी। 15 पंचायतों के 26 गांव में पंचायत सशक्तिकरण का हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें हम महिला प्रतिनिधियों के क्षमता विकास व नेतृत्व को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे है।

महिलाओं की पंचायत प्रक्रियाओं में भागीदारी के माध्यम से महिला नेतृत्व व जेण्डर समानता के मुद्दें को हमने केन्द्र में रखा है। इसके साथ ही महिलाओं की राजनीतिक व प्रशासकीय क्षमता विकास पर हमारा ध्यान है। क्षेत्र में महिला पंचायत प्रतिनिधियों का नेटवर्क भी स्थापित किया गया है जो लोग लोक जागृति मंच के साथ मिलकर काम करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने विगत दो वर्षों में महिला नेतृत्व विकास की 5 कार्यशालाएं की तथा प्रत्येक वर्ष महिला प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को देश के अन्य भागों में महिला नेतृत्व के उदाहरण पर समझ बनाने के लिए उनका शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। पंचायत की चुनी हुयी महिला प्रतिनिधियों की ग्राम स्तरीय साप्ताहिक बैठके आयोजित की जाती है जिनमें महिला प्रतिनिधियों को आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में विचार किया जाता हैं।

आजीविका के लिए स्थानीय स्वशासन का उपयोग

नए पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्तर पर विकास व शासन की जिम्मेदारी लोगों की चुनी हुई पंचायतों को दे दी गई है। विकास के लिए आजीविका अनिवार्य शर्त है। इस तथ्य को सामने रखते हुए सम्पर्क ने झाबुआ जिलें के रामा ब्लॉक के 13 गांव में लोगों की आजीविका के विकल्प बढ़ाने तथा इसको स्थानीय स्वशासन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमने बकरी पालन, खेती के लिए बैल, किराना दुकान, कवेलू खरीद–बिक्री, उन्नत बीज का वितरण, आटा चक्की आदि आजीविका के साधन लोगों को ग्रामसभा के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया है। इसके अलावा इन गांवों में महिलाओं के शौचालय, कपड़े धोने का चबूतरा, स्वच्छता कीट का वितरण, निर्धूम चूल्हे, दाई कीट आदि सुविधाएं दी गयी है।

जलसंग्रहण के लिए संरचनाएं बनायी गयी तथा चारागाह विकसित किए गए। ये सारी गतिविधियां ग्रामसभाओं के माध्यम से क्रियान्वित की गयी जिसमें कोशिश यह की गयी कि लोग पंचायत को अपने विकास के लिए उपयोग कर सके।

विकास की राह पर ....

ग्राम छोटा सलुनिया, जो ग्राम पंचायत बड़ा सलुनिया, तहसील पेटलावद जिला झाबुआ के अंतर्गत आता है। इसी गांव में एक अशिक्षित महिला पंच श्रीमती कन्ना पति मंसुर उम्र 35 वर्ष निवास करती है। कन्ना ने बताया कि मेरा पति पंचायत कार्यो में विशेष रूचि रखता है तथा चुनाव में खड़ा होना चाहता है लेकिन महिला सीट होने के कारण उसने मुझे चुनाव में खड़ा कर दिया। पंचायत चुनाव में महिला पंच के लिए मैं उम्मीदवार हूं इसकी जानकारी मुझे नहीं थी क्योंकि मुझसे पूछा ही नहीं गया था । मैं चुनाव भी जीत गई। चुनाव जीतने के 4 वर्ष तक मैं किसी भी पंचायत बैठक में नहीं गई। मेरा पति ही पूरा काम देखता था। यदि हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी तो कागज घर में लाये जाते थें यदि मैं बैठक में जाने की बात करती थी तो मना कर दिया जाता था। इसी दरमियान सम्पर्क स्वयंसेवी संस्था रायपुरिया के गांव में स्वयं सहायता समूह बनाने की बात की। मैं किसी तरह जुड़ गयी। उस समय 8 महिलाएं ही समूह से जुड़ी हुई थी। समूह के माध्यम से महिला नेतृत्व विकास कार्यशाला मे जाने का मौका मिला। कार्यशाला में मुझे कई महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुई। मैं अपने अधिकारें तथा जवाबदारियों से अवगत हुई। संस्था वालों ने बहुत अच्छे से पंचों के कार्यो तथा कार्य करने के तरीके तथा आने वाली समस्याओं के बारे में बताया तथा काम के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उपाय सुझाए। इसके बाद में महिला जनप्रतिनिधि उत्पीड़न कार्यशाला में भोपाल में जाने का मौका मिला। कार्यशाला में भी मुझे बहुत सारी जानकारिया प्राप्त हुई । भोपाल से वापस आने के बाद पुनः ग्राम सचिवालय की कार्यशाला में आने का मौका मिला। इन कार्यशालाओं के कारण मुझे पंचायत संबंधी तथा नयी महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुई।

आज मैं सरपंच तथा सचिव से बात कर कार्यो की जानकारी पूछती हूं । आंगनवाड़ी में चल रही बेईमानी को लोगों को बताती हूं। आंगनवाड़ी में दलिया नहीं दिया इस दलिया को जानवर को खिलाया जाता है। गांव में किसी भी अपंग व्यक्ति की सहायता राशि सचिव सरपंच द्वारा नहीं दी गई। मैं अगले चुनाव में सरपंच के लिए खड़ी होना चाहती हूं। कन्ना बेन से बात करने पर उनमे जो आत्मविश्वास तथा शालीनता झलकती है वह वाकई सराहनीय है। क्योंकि जो महिला पहले कभी पंचायत की बैठक में नहीं गई तथा जो ग्रामीण समस्याओं कों नहीं समझती थी वही महिला आज गांव के सरपंच तथा सचिव के नाम के आधार पर भ्रष्ट कहती है। आज कन्ना बेन ने स्वयं सहायता समूह में 30 महिला को जोड़ा है। गांव की महिलाएं उसके पास पंचायत तथा कार्यशाला संबंधी जानकारी लेने के लिए जाती है। वह सरपंच पद के चुनाव में खड़ी होने के लिए कई जानकारिया एकत्र कर रही है। वह संस्था कार्यकर्ताओं से कई प्रश्न पूछती है कि 3 बच्चे वाली महिला चुनाव में खड़ी हो सकती है क्या ? ऐसा नियम है क्या कि अपंग को सहायता मिले ? आदि। कन्ना बेन ने राज्य स्तरीय महिला पंच/सरपंच कार्यशाला में जाकर नव भारत, नई दुनिया, दैनिक भास्कर तथा सहारा के पत्रकार से बिना डरे बात की। यह सब कन्ना बेन के जागरूक होने की वजह से संभव हुआ है।

आयवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास

आयवर्धन गतिविधियों के माध्यम से गरीब आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के पीछे सम्पर्क का दृष्टिकोण यह है कि क्षेत्र के आदिवासी परिवारों में महिलाओं की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों से महिलाओं को जोड़कर उन्हें निर्णायक स्थिति में लाया जाये। भूमि पर बढ़ते दबावों के कारण आदिवासी परिवारों की माली हालत ठीक नहीं है। इन परिवारों को आय के वैकल्पिक साधनों/स्रोतों के जोड़कर तथा इन गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका तय कर उन परिवारों की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सम्पर्क म.प्र. में ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सौजन्य से जून 2004 से मार्च 2006 तक पेटलावद विकास खण्ड के 7 गांव में चेलेन्ज फंड परियोजना क्रियान्वित की।

इस परियोजना का उद्देश्य गरीब आदिवासी परिवारों की गैर कृषिगत कार्यो मे कुशलता बढाकर आर्थिक स्तर में सुधार लाना। जीवन स्तर उन्नत करना। तथा आर्थिक कार्यक्रम के जरीये महिलाओं को आगे लाना रहा। इसके अर्न्तगत हमने ग्राम स्तरीय महिलाओं समूहों तथा ग्राम उद्योग समूह के माध्यम से हितग्राहीयों का चयन करके उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया और हितग्राही को व्यवसाय हेतु समूह ऋण प्रदान किया गया। परियोजना क्षेत्र के 8 गांव में फेडरेशन के माध्यम से 71 हितग्राहीयों का चयन किया गया है तथा 47 हितग्राहीयों के साथ मिलकर बकरी पालन, मुर्गीपालन, किराना दुकान तथा पपीता उद्यान की गतिविधियां निष्पादित की गई है। किराना दूकान का सामान तथा मुर्गी व बकरी की खरीदी में

फेडरेशन के सक्रिय सदस्यों ने जबर्दस्त उत्साह का प्रदर्शन किया तथा एक लोकआधारित खरीदी प्रक्रिय अपनाकर पूर्णतः पारदर्शी व हितग्राही उन्मुख खरीदी की गई है। किराना व्यवसाय तथा बकरी व मुर्गीपालन में आशातीत सफलता प्रारंभिक दौर में मिल रही है तथा हितग्राही को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रभाव के रुप में हम पाते हैं कि चयनित हितग्राहियों में कुशलताओं के साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि हुई । हितग्राहीयों के परिवार का अतिरिक्त आय का स्त्रोत स्थापित व पलायन में कमी आयी। महिलाओं की अर्थोपाजन प्रक्रिया में भूमिका आर्थिक रूप से बढ़ी।

उपलब्धियां

हमारे विकास कार्यक्रमों की उपलब्धि हम इस इस रुप में देखते हैं जहॉ शिक्षा के बारें में लोगों की जागरुकता बढ़ रही है। बालको के साथ ही बालिकाओं का भी स्कूलों में नामांकन किया जा रहा है। लोगों का अपने स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान जा रहा है। सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उठाने के प्रति जागरुकता वढ़ी है। स्वच्छता, पीने के पानी की उपलब्ध्ता मे अंतर आया हैं कृषि के लिए ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। खेती के लिए पानी व जैविक खाद व कीटनाशको का प्रयोग करने से पैदावार में भी अंतर आया है। महिलाओं की पंचायतों के माध्यम से सामाजिक नेतृत्व की भूमिका बढ़ी है।

ग्राम छायनपाड़ा, ग्राम पंचायत बेंगनबर्ड़ी, जिला झाबुआ के अंतर्गत आता है। यहां की कुल आबादी 220 है। इस गांव में 2 वार्ड है तथा दोनों वार्ड में महिला पंच है। 33 वर्षिय गोबरी बेन भी इसी गांव की पंच है। गोबरी का पंच बनने के पीछे उसके पति की ही मर्जी थी। गोबरी बेन ने बताया कि जब में पंच का चुनाव जीती थी उसके बाद करीब 3.5 वर्ष तक मैं पंचायत की बैठक में नहीं गई लेकिन मेरा पति हमेशा ही जाता था। मेरे पति ने मुझे किसी बैठक में जाने से मना तो नहीं किया परंतु जानकारी के अभाव होने के कारण मैं बैठक में नहीं जाती थी। सम्पर्क संस्था कार्यकर्ता गांव की पाक्षिक बैठकों में भी लगातार पंचायत की जानकारी या ग्रामीण समस्याओं को बताना तथा ग्रामीण लोगों को एकत्र करने की बात कहते रहते है। इन सबसे प्रेरणा पाकर तथा कार्यशाला व बैठक के माध्यम से मैंने गांव के लोगों तथा दूसरी महिला पंच को उनके अधिकार तथा कर्तव्य से अवगत करती हूॅं । मेरे से प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गांव के लिए प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवन गांव में बन पाया है। क्योंकि यह आंगनवाड़ी भवन सरपंच नवापाड़ा बनाना चाहता था, लेकिन तथा गांव के लोगो ने अथक प्रयास कर गांव में ही भवन का निमार्ण करने में सफल रहे है। आज मैं अपने आप में बहुत अधिक आत्मविश्वास तथा साहस पाती हूं ।

गोबरी बेन के साथ बात करने के बाद जो स्थिति स्पष्ट होती है वह पहले नहीं थी किंतु सही मार्गदर्शन तथा काम करने की इच्छा शक्ति ने गोबरी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। गोबरी आज अन्य महिला पंच को प्ररित करती है। गांव में बैठक करवाने के लिए उत्साहित रहती है। उसका मानना है कि हम गरीबों के पास इतनी जमीन नहीं है कि सारा जीवन सही ढंग से सुचारू रूप से चला सके। तो क्यों ने हम बैठक व कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान की पूंजी एकत्र कर धनी बने। जो कि हमारे अधिकारों को पाने के लिए प्रेरित करती है।

सुधार

सम्पर्क की रणनीति में ही स्पष्ट है कि वह केवल विकासात्मक कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए संरचनाओं का निमार्ण ही नहीं करेगी वरन् समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए आदिवासी समाज की परम्पराओं में भी बदलाव लाएगी जिससे वे अपने अनुकूल जीवन की पद्वति विकसित कर सकें।

सम्पर्क का प्रयास महज विभिन्न योजनाओं का लाभ आदिवासी समुदाय तक पहुंचना ही नहीं रहा है बल्कि संस्था की दृष्टि इस बात पर केन्द्रित रही कि किस प्रकार विकासात्मक व चेतना मूलक गतिविधियां चलायी जाए जिसमें आदिवासी समाज न केवल शिक्षित व आत्मनिर्भर हो वरन् अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्वयं पहल कर सके।

इन सारे कार्यक्रमों के संचालन के साथ–साथ संस्था के प्रमुख व्यक्तियों के मन में यह स्पष्ट था कि विकास कार्यक्रम का लाभ तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि समाज की तैयारी उसके लाभों को ग्रहण करने की न हो। अपने प्रारंभिक हस्तक्षेप व शोध से संस्था ने समझ लिया था कि आदिवासी समाज की जीवन के बारें में स्पष्ट सोच व दृष्टि रही है जिसमें उनकी परम्परागत जीवन शैली महत्वपूर्ण थी। समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन हुए जिससे इनका जीवन जटील हो गया है। आधुनिक रहन सहन व बाजार का प्रभाव इस समाज की परम्पराओं पर भी पड़ा जिससे आदिवासी परिवारों का अधिकांश संसाधन दिखावे के कामों पर खर्च होने लगा। जिसके कारण बहुतेरी कल्याणकारी शासकीय व गैर शासकीय योजनाओं के बावजूद भी उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन कुरीतियों को दूर और सुपरम्परा विकसित किए बगैर हालात में उल्लेखनीय बदलाव लाना संभव नहीं है। इसलिए संस्था ने अपने हर कार्यक्रम हर हस्तक्षेप के केन्द्र में सामाजिक परम्पराएं व मुद्दे रखे। यहां तक कि संस्था की नीति रही है कि बगैर सामाजिक मुद्दों पर सहमति के किसी गांव में अपना विकासात्मक कार्यक्रम शुरू ही नहीं करेगे।

समूह संगठन

सम्पर्क की रणनीति में हर काम की शुरुआत गॉव में समूह संगठन के गठन से होती है। इन्हीं समूहों के माध्यम से हम अपनी विकासात्मक , सुधारात्मक या जन पैरवी के मुद्दों को आगे बढ़ाते है। समूहों का नेत्त्व स्थानीय गॉव के निवासियों का होता है और सम्पर्क के हस्तक्षेप की प्रक्रिया और गतिविधियां इन्हीं समूहों के सुझाव व सहयोग के आधार पर आगे बढ़ती है। सम्पर्क ने प्रारंभ से ही समूह संगठन को अपनी समस्त गतिविधियों के केन्द्र में रखते हुए समाज के कमजोर व वंचित तबके के साथ विकास की दिशा में चलने के प्रयास किए है। समूह संगठन के माध्यम से संस्था ने विकास क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है जसमें लक्षित समुदाय के लोग एकजुट होकर समंवित रूप से जीवन स्तर की उन पायदानों पर पहुंच सके जहां गैर बराबरी, शोषण और गरीमाहीनता की स्थितियां न हो।

संस्था का मानना था कि आदिवासी विकास की बातें बगैर उनके मजबूत संगठन को खड़ा किए नहीं की जा सकती। इस प्रकार का संगठन भी इसी समाज के भीतर से उभरना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्पर्क ने अपने काम के प्रारम्भ से ही सामुदायिक संगठन पर बल दिया। इसी प्रयास के तहत लोक जागृति मंच की स्थापना की गई। मंच के प्रयासों से क्षेत्र के आदिवासी समुदाय सामाजिक मुद्दों पर की जा रही पहल को आगे ले जाने में महत्ती भूमिका निभाते है। आदिवासी संगठन लोक जागृति मंच के वार्षिक महासम्मेलन जिसे ग्राम उत्सव के रुप में मनाया जाता है, का सबसे प्रमुख एजेण्डा यही होता है कि उसमें विभिन्न स्तरों पर सामाजिक मुद्दों और परम्पराओं की वर्तमान स्थिति का ब्योरा लिया जाए। इस सम्मेलन के दौरान जरूरी मुद्दों घटनाओं पर व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ नियम बनाए जाते है। जिन्हें संगठन के सभी सदस्यों को मानना आवश्यक होता है।

ग्रामोत्सव के दौरान सम्पर्क के कार्यक्षेत्र व लोक जागृति मंच से जुड़े गॉवों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर अपने समाज को बेहतर बनाने की रणनीति पर विचार करते हैं । इस दौरान सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक नियम बनाए जाते हैं और पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा भी की जाती है।

इन दो वर्षो में ग्रमोत्सव के दौरान स्थानीय समूहों के चर्चा के एजेण्डे में सामाजिक सुधार के मुद्दों के साथ–साथ वैश्वीकरण का कृषि के उपर पड़ने वाले प्रभावों के बारें में ग्रामीण ज्यादा मुखर रहे। सामाजिक सुधार के लिए आदिवासी सुपरम्पराओं के पुर्नजीवन की समीक्षा के दौरान यह बात उभर कर

सामने आयी कि एक दूसरे के कामों में सहयोग की अड़जी पड़जी परम्परा का विस्तार ज्यादातर गॉवों में हो गया है । लोगों ने इसे स्वतःस्फुर्त कार्यक्रम की तरह स्वीकार कर लिया है अब तो हमारे हस्तक्षेप के अतिरिक्त गॉवों में भी आदिवासी समाज अपने कामों को अड़जी पड़जी के माध्यम से कराने लगे है। इसी प्रकार राखी में बहने अब एक ही नारियल लेकर भाईयों के घर जाती हैं , ज्यादातर गॉवों में जहॉ लड़कियों के ससुराल या मायका है वहॉ भी इस परम्परा का विस्तार हुआ है। यह जागरुकता अपने आप बनने लगी है। मृत्युभोज के लिए किया जाने वाला नुक्ता भी सहयोगी हुआ है । इसमें लुग्दी पुड़ी की बजाए दाल बाटी जैसा सामान्य खाना ही परोसा जाता है।

किन्तु वधुमूल्य (दापा) खर्चीली शादियों , आपसी झगड़ें, आदि कुरीतियां कम तो हुई हैं पर यह स्वतः स्र्फूत ढंग से आगे नहीं बढ़ रही है। इनके बारें में अभी भी काम करने की जरुरत है। इस बारें में तथ्य यह भी है कि इन परम्पराओं से सीधे बाजार , थाना, व दलालों के हित जुड़े हुए है, इसलिए इसे स्थापित करने में कठिनाई आ रही है और समय लग रहा है। इस बारें में अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए तय किया गया कि खर्चीली शादी रोकने के लिए माईक पर लगे प्रतिवन्ध को थोड़ा ढीला करके दो दिन माईक लगाने की छूट दी जाए। इसी प्रकार दापा न लेने की जगह शादी में लड़की को 500 ग्राम चॉदी या पॉच हजार रुपया दिया जा सकता है। ग्रामोत्सव के दौरान इस पर गंभीरता से विचार हुआ और तय किया गया कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए समय के साथ बदलाव तो लाया जाएगा, पर कुछ मुद्दों पर सख्ती से कदम उठाएं जाएगें। इन आधार पर सभी के साथ मिलकर अगले वर्ष के लिए सहमति पत्र तैयार किए गए।

वर्ष 2004 व 2005 में सुधार कार्यक्रम का आर्थिक पक्ष

वर्ष	गाँवों की संख्या	अड़जी–पड़जी के दिन (अवधि) (कुल)	अड़जी – पड़जी करने वालों की संख्या	अड़जी – पड़जी से बचत (रूपए मे)	लाभान्वित परिवार
2004	92	830	198	6573600	147
2005	92	953	253	9644360	159

वर्ष	चौपाल पर निपटाए झगड़े का स्वरूप	गाँवों की संख्या	नहीं निपटाने की दशा में होने वाला ख़र्च	कुल बचत	लाभान्वित परिवार
2004	23	92	575000	542000	46
2005	19	92	475000	445000	38

वर्ष	नुक्ते की संख्या	गांव की संख्या	सहयोग प्राप्त हुआ		बिना सहयोग से नुक्ते में आने वाला खर्च	सहयोग से नुक्ता करने पर रूपये की बचत हुई	लाभांवित परिवार की संख्या
			अनाज	रु.			
2004	92	40	4800	38000	320000	27000	40

वर्ष	कुल ग्राम	कुल शादियां	कम खर्च वाली शादियों की संख्या	परियोजना से पूर्व का खर्च (राशि)	परियोजना से पश्चात् का खर्च	कुल बचत
2004	49	294	25	1,562,500	329,250	*1,233,250*

वर्ष	गाँव की संख्या	राखी में एक नारियल लेने जाने वाली महिलाएं	यदि अधिक नारियल ले जाती तो होने वाला खर्च (रूपये)	अभियान में जुड़ने से हुई बचत (रूपये)	लाभान्वित परिवार
2004	92	312	374400	327600	602

सामाजिक संगठन के आधार पर लोक कल्याणकारी सरकारी योजनाएं जैसे मातृत्व सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अन्तोदय अन्न योजना, मध्यान्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि गॉवों में ठीक ढंग से संचालित हो और इनका लाभ सही हितग्राहियों को मिल सके इसके लिए ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति पर जोर दिया गया।

समाजिक संगठन को मजबूत करने की दिशा में महिलाओं के 72 स्व सहायता समूहों जो पेटलावद ब्लॉक के पंचायतों में सक्रिय हैं, के फेडरेशन को भी मजबूत किया जा रहा है। इस फेडरेशन के संचालन व व्यवस्था के लिए ग्रामोत्सव के दौरान सबकी सहमति से नियम बनाए गए।

ग्रामोत्सव के दौरान इधर के दो वर्षो में किसानों की समस्याओं खास तौर पर संस्थागत बेजा कर्ज एवं वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व गलत सरकारी नीतियों के कारण उनके जीवन तथा आजीविका के साधनों पर पड़ रहें विपरित प्रभावों पर गंभीरता से चर्चा की गई। इसमें फसल बीमा, उद्हवन सिंचाई योजना के अन्र्तगत गलत ढंग से लोगो ं के उपर लादे गए कर्ज , बिजली की कम आपूर्ती और गलत बिल, बी.टी. बीजों से होने वाले नुकसान आदि मुद्दों को सबके सामने रखा गया और संगठन द्वारा इन पर अपने हस्तक्षेप की रणनीति बनायी गई।

स्थानीय स्वशासन की ईकाई पंचायतों के काम ठीक प्रकार से चले इसके लिए आदिवासी संगठन लोक जागृति मंच उनकी सहायता करता है , इसी प्रकार संगठन के मुद्दों पर ग्राम पंचायतें उन्हें सहयोग करती है। संगठन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था की ईकाईयों के साथ तालमेल बढ़ने व उनको मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। संगठन के मुद्दों को ग्राम सभा के एजेण्डे के रुप में रखा जात है और ग्राम सभा की सहमति से इसे ठहराव प्रस्ताव के रुप में पारित किया जाता है। इसी प्रकार पेटलावद ब्लॉक की 72 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के नेटवर्क '' सरपंच संघ'' के साथ निरन्तर तालमेल बनाकर उन्हें सहयोग दिया जाता है।

महिलाओं के संगठन के माध्यम से स्व सहायता समूहों के अतिरिक्त स्थानीय नेतृत्व को बढ़ानें के लिए पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानें पर जोर दिया जा रहा है। इन महिलाओं की जागरुकता तथा क्षमता विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए।

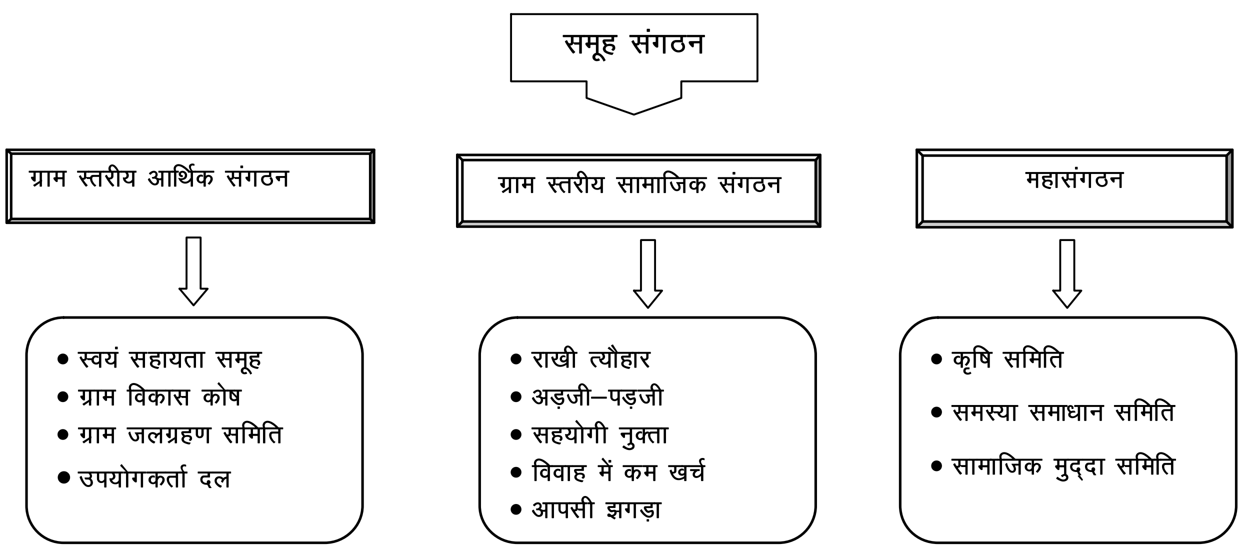

समूह संगठन का प्रभाव

इस तरह के समूह संगठन द्वारा किए गए हस्तक्षेप का प्रभाव यह देखने में आया कि–

1. कार्यक्षेत्र का तेजी से विस्तार तथा 90 से अधिक गांवों का जुड़ाव।
2. समाज के बीच जागरूकता का विस्तार हुआ जिसके कारण शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन व विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार।
3. शादी में लड़की का दापा लेने की प्रथा को कम करने में उल्लेखनीय सफलता मिली।

4. समाज में प्रचलित महंगे मृत्युभोजन को बंद कर अब क्षेत्र में सहयोगी नुक्ता की परंपरा का व्यापक पैमाने पर पुर्नःस्थापन।
5. श्रम के विनिमय की पुरानी परम्परा अड़जी–पड़जी को पुनः प्रचलित करने में अच्छी सफलता।
6. समाज को एकजुट कर उन्हें स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने तथा इसके लिए आम राय के आाधार पर विभिन्न रूढ़ियों के निवारणा व अच्छी परम्पराओं के पुनःस्थापन के लिए एक सहमति पत्र तैयार कर उसके अनुसार आचरण करने का संकल्प।
7. लोगों में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने का कौशल विकसित हुआ।
8. ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी व पंचायत पदाधिकारी की समझ का विस्तार।
9. समुदाय द्वारा शुरू की गई सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया को क्षेत्र बढ़ने के साथ व्यापक समर्थन मिलने लगा है।
10. सामुहिक नेतृत्व के विकास के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि समूह संगठन में आम आदमी की भागीदारी बढ़ रही है जिससे उसके नेतृत्व क्षमता में विकास हो रहा है।
11. इस प्रक्रिया में महिलाएं आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करने लगती है।
12. संसाधनों के अभाव के बाद भी लोकहित की नीति बनाने के लिए लोगों का जुड़ाव बना है और वे सक्रियता से इस अभियान को आगे बढ़ाने में उत्साह पूर्वक लगे है।
13. राखी के त्यौहार पर थैलाभर नारियल ले जाने की कुप्रथा की लगभग पूरी तरह सफाया। एक नारियल ले जाने को व्यापक स्वीकार्यता।
14. आपसी झगड़े चौपाल पर ही निपटाने के प्रति लोगों की रूचि में वृद्धि।
15. शराबबंदी के लिए महिलाओं की जागरूकता में विस्तार।

गुलाब व धर्मा का ग्राम चौपाल ने मिटाया वैमनस्य ....

पेटलावद विकासखण्ड से 28 किमी. की दूरी पर ग्राम पंचायत पांचपिपला में स्थिति ग्राम भूरीघाटी के माताफलिया में निवासरत गुलाब पिता बिजल मेडा व धर्मा पिता बिजल मेडा दोनो सगे भाईयों का विवाद खेती के बंटवारे को लेकर पिछले 5–6 वर्ष से चल रहा था। एक दिन धर्मा ने जानबूझ के अपने जानवर गुलाब के खेत में खड़ी कपास के खेत में छोड़ दिय, यह देख गुलाब खेत पर गया तो धर्मा ने लठ्ठ के द्वारा गुलाब पर हमला कर दिया, जिसके कारण गुलाब लहुलुहान हो गया और बेहोश हो गया। यह देख धर्मा गांव से भाग गया। सभी गांव वाले गुलाब को अस्पताल ले गये और गुलाब का उपचार कराया परंतु फिर भी चोट के कारण गुलाब अविचलित सा लगने लगा, परंतु 2 माह में गुलाब ठीक हो गया। गांव की समझाईश पर गुलाब की पत्नि ने थाने में रिपोर्ट नहीं की क्योंकि थाने में जाने से कुछ नहीं होता दोनों के घर बरबाद हो जायेगे।

गांव के सक्रिय कार्यकर्ता मयाराम, रामचंद ने गांव में चर्चा कर धर्मा को ढुढंकर गांव में बुलवाया और झगडें की तह में जाकर धर्मा को हमले के लिए दोषी माना। धर्मा ने भी अपनी गलती कबुल की। गुलाब के उपचार में लगे 4000 रूपये धर्मा से दिलवाये गये व दोनों को साथ में खाना खिलाकर मन मुटाव को ग्राम चौपाल ने खेत का बंटवारा कर निपटा दिया है। आज दोनों भाई हिलमिल कर रह रहे है।

जन पैरवी

विकासात्मक गतिविधियां व सामाजिक ढांचें में सुधार की बात करने के साथ ही हम यह महसूस करते हैं कि आदिवासी समाज व गॉव कहीं न कहीं एक बड़े सामाजिक ढाचें से जुड़े हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन पर हर कहीं पड़ता रहता है। सरकार, बाजार तथा अन्य सामाजिक घटक लोगों से सीधे जुड़े हैं जिनका आपसी तानाबाना इतना जटिल होता है और वे एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से जुड़े रहते हैं कि एक के बारें में किया जाने वाला हस्तक्षेप पूरे तंत्र को प्रभावित करता है। इस दृष्टि से हमने तय किया कि सरकार व बाजार की नीतियों व अभ्यासों को लोगों के हित में करने के लिए जन पैरवी की प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसमें हमारी दृष्टि विरोध करने की बजाए जो नीतिया लोगों के हित में हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने , लोगों के हित में किसी नीति के अभाव में कानूनों की मॉग करने तथा जिन नीतियों व अभ्यासों का लोगों के जीवन पर विपरित असर पड़ रहा हों उन्हें बदलने के लिए अहिंसात्मक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की है।

अपनी उक्त रणनीति के तहत सम्पर्क ने विगत दो वर्षो में जन पैरवी की दिशा में जो काम किए वे इस प्रकार से है –

बेजा कर्ज मुक्ति अभियान –

सम्पर्क के कार्यक्षेत्र में सैकड़ों आदिवासी किसान ऐसे हैं जिनके उपर संस्थागत कर्ज के रुप में देनदारियां दिखाई गई हैं। उनके पास बार – बार बैंकों की नोटिस आती है और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में धमकी मिलती है। इनमें प्रमुख रुप से उद्हवन सिंचाई योजना के अर्न्तगत दिए गए कर्ज ज्यादा थे। सम्पर्क ने पूरे मामले का अध्ययन किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। इस अध्ययन के दौरान हमने 81 उद्वहन सिंचाई परियेाजना के लिए 1700 काश्तकारों से बात की इसमें देखा गया कि सिंचाई के लिए मोटर के नाम पर इन किसानों पर बेजा कर्ज को बोझ लाद दिया गया है। कई मामलों में तो बगैर मोटर लिए ही कर्ज किसानों के नाम पर दिखाया गया। कई गांव में बिजली ही नहीं है और बिजली की मोटर का कर्ज वहां के निवासियों पर है। कई किसानों के खेत में पानी ही नहीं पहुंचा किंतु उन्हें पीवीसी पाईप और मोटर देकर उनके नाम पर कर्ज चढ़ा दिया गया। कई खेतों में तो पाईप के टुकड़े भी नहीं पहुंचे। इस तरह ब्लॉक के हजारों किसानों को कर्ज के जाल में फांस लिया गया।

दूसरी तरफ पिता ने कर्ज लिया अब उनके पुत्रों के पास बैंक से कर्ज चुकाने की नोटिस आ रही है। पिता ने 10 हजार रूपये का कर्ज लिया था जिसमें 20–30 हजार तक की किश्तें चुका दी गयी किंतु अब भी बैंक उस परिवार पर 30–40 हजार की देनदारी दिखा रहा है। कई आदिवासियों ने बैंक देखा ही नहीं और बैंकों की तरफ से 90 हजार तक के कर्जदार उन्हें बना दिया गया है। एक दो उदाहरण ऐसे भी मिले की शादीशुदा लड़कियां अपने मायके आयी और उनका फोटो खींचकर उन्हें कर्जदार बना दिया गया।

ऐसी विषम परिस्थिति के बारे में हमने कर्ज की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर बैंक अधिकारियों से बात की। उनका कहना था कि हमने प्रक्रिया का पूरी तौर पर पालन किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि माल सप्लॉय करने वाले दुकानदारों/ठेकेदारों ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर योजना में घटिया माल सप्लाय किया। दोषपूर्ण क्रियान्वयन कर बिलपास करवाकर भुगतान सीधे प्राप्त कर लिया।

इस पूरे मामले को संदिग्ध दायित्व अधिनियम के अंतर्गत रखकर हमने अपने अध्ययन के आधार

पर प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को ग्रामसभा के सामने रखा। ब्लॉक, जिला व राजधानी में धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल से मुलाकात कर सामुहिक आत्महत्या की अनुमति मांगी। 22 फरवरी 2006 को भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया गया। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री झाबुआ आये और पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की। समिति जांच तक बैंकों से कर्ज वसूली की प्रक्रिया को रोक दिया गया।

बी. टी. कॉटन के खिलाफ किसान

भू–मण्डलीकरण के कृषि व आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण भारत का प्रमुख आजीविका का यह साधन विदेशी मुनाफाखोर कम्पनीयों के गिरफ्त में जाता दिख रहा है। ये कम्पनीयां हमारी परम्परागत कृषि को बदल कर अपने लिहाज से उपयोगी जिन्सों के उत्पादन को बढ़ावा देती हैं जिसे किसानों के खाद्यान्न सुरक्षा पर तो असर पड़ता ही है, उन्हें नकदी फसलों के जाल में ऐसा उलझा लिया जाता हैं कि वे कर्जदार बन जाते है। इसकी एक बड़ी वजह यह हैं कि इन कम्पनीयों के फसल के बीज बड़े मॅंहगे दामों पर मिलते हैं और खेती का निवेश बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार के बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उत्पादित बीटी कॉटन के बारे में हमे जानकारी मिली कि बी.टी. के बीज से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के बीज के जीन में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की बात कहीं जाती है किंतु इसमें लगने वाले कीड़े भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते है जिससे ज्यादा कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया के साथ ही जमीन नष्ट होती जाती है और कीटनाशकों का विपरीत प्रभाव मनुष्यों, मवेशियों व पर्यावरण पर भी पड़ता है।

पेटलावद ब्लॉक में वर्ष 2004 में करीब 4000 किसानों ने कपास उत्पादन के लिए इस बी.टी. के बीज का उपयोग किया किंतु कंपनी के दावों के विपरीत उन्हें फायदे के बजाय नुकसान ही उठाना पड़ा। कंपनी का दावा था कि बीटी कपास के बीजों में कीड़े नहीं लगते और फसल भी अच्छी क्वालिटी की होती है पर किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में कीड़े लगे और फसल की गुणवत्ता दोयम दर्जे की रही। इससे अधिकांश किसान महंगे बीज व कीटनाशकों के कारण कर्ज में आ गए। इस बारे में कंपनी का कहना है कि किसानों ने सही तकनीकि का इस्तेमाल नहीं किया अगले वर्ष किसानों द्वारा उपयोग किये गए बीटी कपास के परिणाम भी इसी प्रकार रहे। इस वर्ष कंपनी ने अपनी बीटी कपास के बीजों का मूल्य 2200 रूपये प्रति पैकेट से घटाकर 750 रूपये कर दिया। आशंका है कि हजारों किसान फिर से कंपनी के भ्रामक प्रचार में फंसकर इन बीजों का उपयोग करेंगे। संपर्क का कहना है कि ऐसी कंपनियों को जो कृषि के क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप कर रही है और लुभावने वादे कर किसानों के खेत, श्रम और पैसों के साथ खिलवाड़ कर रही है, के ऊपर नकेल होनी चाहिए।

सम्पर्क ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बी.टी. किसानों के साथ मिलकर एक अध्ययन के माध्यम से तथ्य निकाले जिसमें कम्पनी के भ्रामक दावों की पोल खोली गई। इस बारें में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। चुंकि कपास की खेती पूरे पश्चिमी मध्यप्रदेश में होती है अतः अपने अभियान में झाबुआ के अलावा आसपास के अन्य जिले जैसे धार, रतलाम, बड़वानी, खरगौन व बुरहानपुर व खण्डवा को भी शामिल किया गया। इन जिलों में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं और जन संगठनों के साथ मिलकर ''बीज स्वराज अभियान'' नेटवर्क का गठन किया गया जिससे इस लड़ाई को व्यवस्थित तरीके से लड़ा जा सके। ग्रामसभाओं में मॉन्सेन्टो (बीटी कॉटन के बीज बनाने और वितरित करने वाली

कंपनी) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराये। जिला स्तर पर 7 मई 2005 को झाबुआ में कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और कंपनी की बीज व कीटनाशकों के डब्बे जलाये। मध्यप्रदेश सरकार को इस कंपनी की कारगुजारियों व किसानों के दर्द से अवगत कराया।

कम्पनी के दावों की जॉच के लिए बीटी–II के ट्रायल का सम्पर्क ने अनुश्रवण किया । यह ट्रायल अपने दावों को पूरा करने में असफल साबित हुआ। इसके प्रतिवेदन को मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा **जी.ई.ए.एस.** (जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रुवल कमेटी) के सामने रखा गया। साथ ही इस पूरे प्रकरण को स्थानीय व राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा उजागर किया गया जिससे कम्पनी के खोखले दावों की पोल आम जनता के सामने खुल सके।

आंधप्रदेश की सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु मध्यप्रदेश सरकार उनके अनुभवों से कुछ सीखने के बजाय कंपनी को प्रोत्साहित कर रही है। हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार से कम्पनी को अनुमति देने के आधार को सामने रखने की मॉग की है। कम्पनी के साजिश के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के लिए पुस्तिका, पोस्टर तथा फिल्म बनाए गए है। हमारा जागरुकता अभियान जोर शोर से जारी है। इस कंपनी और बीटी बीजों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है।

जन कारवां

सम्पर्क द्वारा मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में सफेद सोना कही जानी वाली कपास फसल को चौपट करने वाली कंपनियों की किसान विरोधी नीति के खिलाफ जन मानस तैयार करने तथा सरकार को चेताने के लिए मालवा निमाड़ के साथी संस्थाओं व जन संगठनों के साथ मिलकर बीज स्वराज अभियान के बैनर तले जन कॉरवा निकाला गया। बीटी कॉटन के नुकसानों से जनता को जागरूक कराने के लिए निकाला गया यह जन कारवां पश्चिमी मध्यप्रदेश व मालवा–निमाड़ क्षेत्र के पेटलावद, मेघनगर, दाहोद, भाभरा, बड़वानी, लोनसरा, बुरहानपुर, खरगोन, धामनोद, धामनोद मंडी, भीलगांव, छैगांव माखन, खंडवा, सिमरोल, इंदौर, होता हुआ भोपाल पहुँचा जहॉ जहां पर राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया। कारवॉ के भोपाल पहुॅचने पर भोपाल प्रस्ताव तैयार किया गया।

जन कारवां का मुख्य उद्देश्य विश्य व्यापार संगठन की जनविरोधी नीतियों को जनता के समक्ष उजागर करना तथा आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर जन चेतना फैलाना तो था ही साथ ही हम सरकार को आमलोगों के हितों से जुड़े मुद्दों पर बिना व्यापक स्तर पर बहस किये किसी भी तरह के समझौते न करने के लिए आगाह भी करना चाहते थे।

किसानों के हित में इस लड़ाई के लिए हम भारतीय किसान यूनियन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, काश्तकार संघ, किसान परिषद, किसान एकता मंच, किसान संघर्ष समिति, बीज स्वराज अभियान आदि किसान संगठनों के साथ तालमेल बनाकर इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रहे है।

जनकारवां के दौरान भ्रमण किए गए स्थान व मार्गचित्र

1 पेटलावद	2 मेघनगर	3 दाहोद	4 भाभरा
5 बड़वानी	6 लोनसरा	7 बुरहानपुर	8 खरगोन
09 धामनोद	10 भीलगांव	11 छैगांव माखन	12 खण्डवा
13 सिमरोल	14 इंदौर	15 भोपाल	

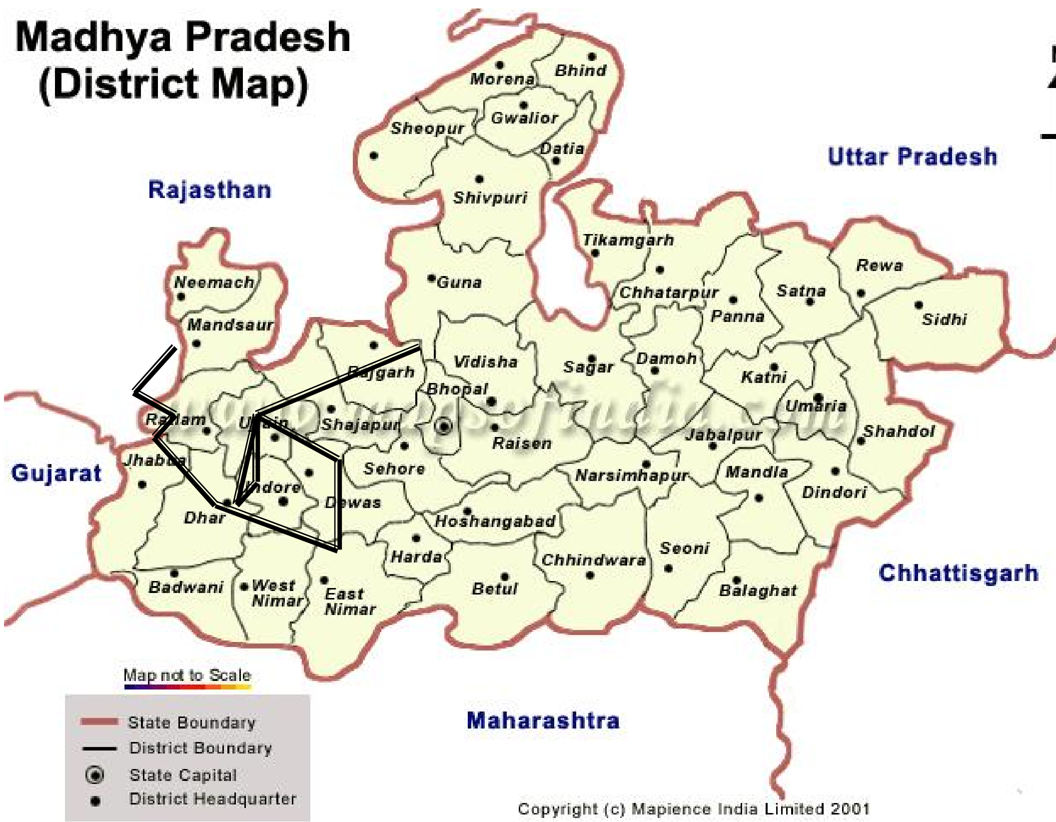

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग :

महिला नेतृत्व विकास के साथ ही हम पंचायत व्यवस्था को सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्टीय परिवार सहायता योजना, राष्टीय मातृत्व सहायता योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, अंत्योदय अन्न योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इन योजनाओं की मांग के लिए ग्राम स्तर पर लोगों को योजना की जानकारी, लाभ पाने से वंचित हितग्राहियों की सूची तैयार करके उनकी मांगों को ग्रामसभा के सामने रखने की प्रक्रिया में सहयोग

किया गया। ग्रामसभा के माध्यम से पर्याप्त कार्यवाही न होने की स्थिति में ग्राम सचिवालय में मामले को रखा जाता है। ग्राम सचिवालय में भी मामले पर कार्यवही न होने पर उसे उपखण्ड सचिवालय में ले जाया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी थे जिन पर उपखण्ड सचिवालय में भी कोई हल नहीं निकला ऐसी स्थिति में उसे खण्ड सचिवालय पेटलावद लाया गया। यहां भी मामला हल न होने पर कलेक्टर से मिलकर उसके हल की कोशिश की गयी। सम्पर्क की रणनीति में इस तरह के मुद्दों को न्यायालयीन प्रक्रिया में ले जाना भी शामिल है। गांव से जुड़े विकासात्मक योजनाओं के 115 मामलों को हमने सर्वाच्च न्यायालय में भी उठाने की कोशिश की।

अधिकारों से जुड़े मामलों पर काम करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि पूरी प्रक्रिया पर स्थानीय लोगों को जुड़ाव व नियंत्रण रहे। और उन्हीं के द्वारा इस आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में सम्पर्क की भूमिका केवल सूचना जानकारी देने तथा फेसीलीटेटर के रूप में ही रही।

भोजन का अधिकार अभियान

सम्पर्क ने भोजन के अधिकार तथा खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर काम के प्रदेश स्तर पर विस्तार के लिए कुछ फेलोशिप प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी। भोजन के अधिकार अभियान के तहत दी जाने वाली इस फेलोशिप में कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने क्षेत्र में सरकार की पंचायतों के माध्यम से चलने वाली लोककल्याण व खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़े प्रमुख 8 योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियां चलाए। साथ ही वह अपने क्षेत्र के अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को भोजन के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित/संवेदित करे। अपने हस्तक्षेप तथा साथी संस्थाओं के काम के उपजे अनुभवों व मामलों की राज्य स्तर पर बांटा जाये और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जन सुनवाई व अन्य माध्यमों से सरकार पर दबाव डाला जाये, जिससे इन योजनाओं का क्रियांवयन सही ढंग से हो सके। मामलों हो हल करने के लिए न्यायालय का भी उपयोग किया गया मीडिया को भी भोजन के अधिकार तथा कुपोषण के के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे कार्यक्रम का मध्यप्रदेश स्तर पर संपर्क ने वर्ष 2004 से 2006 तक समन्वयन किया।

संस्था द्वारा वर्ष 2004–05 में अलग–अलग स्तर पर उठाये गये मुद्दे

क्र.	योजना का नाम	प्रकरण संख्या	गांव की संख्या	पंचा.की संख्यां	सरपंच/ग्रा. सभा में दायर	ग्रा. स. में दायर	जिलाधीश कार्या. में दायर	सु. को. में दायर करने हेतु प्रक्रिया	योजना का लाभ प्राप्त ग्रामीण
1.	सा. सु. पेंशन	111	28	14	–	106	16	–	–
2.	अ0 अन्न योजना	116	22	11	–	100	30	–	–
3.	रा0 मा0 सहा.	144	22	10	144	0	144	113	–
4.	रा. परि. सहा.	5	4	4	5	5	1	1	–
5.	स. ग्रा. रोज.	1	1	1	1	1	1	1	–
6.	पी.डी.एस. में अनिय.	16	16	7	–	16	9	–	–
7.	उ.मू. दुकान की मांग	3	3	3	3	3	1	–	–
8.	आंग. में अनियमितता	3	3	3	3	2	–	–	–
9.	नई आंगनवाड़ी	2	1	1	1	2	2		2
	योग	**401**	**100**		**157**	**235**	**204**	**115**	**2**

इन दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न सुरक्षा तथा भोजन के अधिकार अभियान के तहत हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा शासकीय आयवर्धक योजनाओं का अध्ययन किया और इनसे जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारें में मध्यप्रदेश के सात जिलों में इसकी वस्तुस्थिति के बारें में अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के आधार पर 6 सामुहिक तथा 17 व्यक्तिगत मामले ग्राम सचिवालय के माध्यम से कलेक्ट्रर तक पहुँचाए गए। इन मामलों की जॉच हुई और 14

व्यक्तिगत तथा 3 सामुहिक मामालों का समाधान किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति पर राज्य स्तरीय जन सुनवाई की गई जिसमें 44 संस्थाओं और जन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 620 लोगों ने भागीदारी की।

इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में हम पाते है कि भोजन के अधिकार के मुद्दे पर अनेक संस्थाएं साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हुई। जन संगठनों के साथ भी बेहतर तालमेल बन पाया। मीडिया को संवेदित कर पाये जिससे भोजन के अधिकार से जुड़े मामले प्रमुखता से उठे। सरकार ने माना कि जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित कर पाने में वह विफल रही है। समुदाय स्तर पर भी इन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढी जिससे लोगों ने संगठित ढंग से मांग शुरू किया।

बेईमानी के खिलाफ छेड़ा बिगुल

ग्राम डाबड़ी, पेटलावद, जिला झाबुआ म.प्र. का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में 98 प्रतिशत लोग भील–आदिवासी समुदाय के है। शेष सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार है। सामान्य वर्ग में ठाकुर तथा पिछड़ा वर्ग में पाटीदार है। इस गांव के अधिकांश परिवार कृषि तथा कृषि कार्य कर अपनी जीविका चलाते है। इस गांव के कई परिवारों को अपनी जीविका चलाने के लिए पलायन का भी सहारा लेना पड़ता है। ग्राम डाबड़ी में ही शासकीय उचित मूल्य की दूकान है जहां से ग्रामीण जन राशन तथा केरोसीन का क्रय करते है। परंतु गांव में ही शासकीय उचित मूल्य की दूकान होने के बावजूद ग्रामवासी दूकान का लाभ उठाने से भी वंचित थे। क्योंकि दूकान का वितरक दूकान संचालन में बहुत अनियमितता करता था। इस संबंध में गांव की महिला पंच श्रीमती बदुड़ी अमरा तथा पंच श्री मंगल्या बा से बात करने पर बताया कि दूकान खोलने के लिए दो दिन शुक्रवार और शनिवार निश्चित कर रखे है। लेकिन वितरक दूकान प्रायः एक ही दिन खोलता है। वह भी किसी निश्चित समय दूकान नहीं खोलता है। जिस कारण ग्रामीण जन को दिनभर वितरक का इंतजार कर बिना राशन लिए घर वापस लौटना पड़ता है। वितरक किसी को भी पात्रता अनुसार राशन नहीं देता है। केरासीन का वितरण करने में बहुत अनियमितता बरतता है। किसी भी व्यक्ति को उसके हिस्से का 5 लीटर केरोसीन भी पुरा नहीं मिलता है किंतु ट्रक तथा ट्रेक्टर चालको को कई बार 50 से 200 लीटर केरोसीन तथा 1 से 3 क्वि. राशन एक साथ उपलब्ध हो जाता है।

वितरक की इस बेईमानी को रोकने के लिए गांव के लोगों ने एकता कायम की है, इसमें पुरूष तथा महिला पंच दोनों का विशेष योगदान है। साथ ही गांव की महिलाओं ने भी वितरक की बेईमानी को रोकने के लिए पंच को सहयोग प्रदान किया। गांव के लोगों ने वितरक की शिकायत करने के लिए एक शिकायत पत्र जिला कलेक्टर के नाम से लिखा। जिसकी प्रति मुख्य खाद्य निरीक्षक झाबुआ तथा ग्राम सचिवालय डाबड़ी को भी भेजी। इस शिकायत पत्र में वितरक द्वारा दूकान संचालन में की जा रही बेईमानी व अनियमितता को विस्तृत रूप से लिखा गया। गांव की महिलाओं पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने का जिम्मा महिला पंच ने तथा पुरूषों से हस्ताक्षर करवाने का जिम्मा पुरूष पंच ने लिया। प्रस्ताव को ग्राम सचिवालय में जमा करने तथा आगे की कार्यवाही नहीं करने के लिए वितरक ने इन्हें मना भी किया लेकिन लोगो ने इसकी बात नहीं सुनी व शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करवाने के पश्चात् वितरक दोबारा इनके पास आया और कहा कि संचालन मे कोई अनियमितता नहीं करूंगा लेकिन शिकायत वापस ले लीजिए। किंतु ग्रामीण अपनी बात पर डटे रहे । इस तरह डाबडी की महिला पंच तथा पुरूष पंच ने गांव में एकता कायम कर वितरक की बेईमानी रोकने के लिए कदम उठाया। परिणामस्वरूप आज वितरक शिकायत के पश्चात् दूकान का संचालन सही तरह से कर रहा है।

बच्चों एवं महिलाओं पर आई.सी.डी.एस. परियोजना का प्रभाव :

मध्यप्रदेश में कुपोषण का फैलाव व्यापक है एवं वर्तमान में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा का मामला एक अहम् सवाल के रूप में उभरा है। 2020 तक भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसमें उसकी जनसंख्या की मुख्य भूमिका होगी। पर जिस जन संसाधन के बलबूते देश को बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है क्या उस जनसंख्या को हम पूर्ण रूप से पोषित कर रहे हैं। अनेक आंकड़ों के अनुसार जवाब होगा नहीं। पूरे देश में सबसे कम वजन वाले बच्चों की संख्या मध्यप्रदेश में है। मध्यप्रदेश में शिशुमृत्यु दर भारत एवं अन्य प्रदेशों की तुलना में उच्च है। सशक्त कामगार शक्ति बनने के लिए यह एक कमजोर नींव है। एक अस्वस्थ बच्चा वयस्क होकर बजाय इसके कि देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान करे, इसके विपरीत उस पर बोझ बन जाता है।

सम्पर्क की मान्यता थी कि अपोषण एवं कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए एकमात्र संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना कुपोषण की स्थिति से निपटने में पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। विश्व बैंक (1999) के समीक्षा दल द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्षमता, पूरक आहार की अनियमित सप्लाई, कमजोर निगरानी आदि के कारण आईसीडीएस केवल एक दलिया वितरण केन्द्र भर रह गये हैं अतः इस परियोजना की समीक्षा एवं कुपोषण के स्तर को समझने हेतु एक अध्ययन सम्पर्क झाबुआ, सोपान सिवनी तथा विकास संवाद भोपाल के साथ मिलकर किया गया। इस अध्ययन में सम्पर्क के भोजन के अधिकार अभियान समूह के साथी संस्थाओं व कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय जानकारिया जुटाने तथा विश्लेष्ण में सहयोग प्रदान किया। यह अध्ययन मुख्य रूप मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर केन्द्रित था।

उद्देश्य :

इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण एवं अपोषण के स्तर को व्यापक संदर्भ में समझना एवं इसके लिए किये गये शासकीय प्रयासों विशेषकर आईसीडीएस के क्रियान्वयन की ढांचागत व्यवस्था का विश्लेषण करना। साथ ही इस परियोजना के असर एवं शासकीय नीतियों को समझना था । अनुसंधान के विस्तृत उद्देश्य निम्न रहें –

- कुपोषण के बढ़ते दायरे के कारणों की पहचान एवं विश्लेषण।
- कुपोषण के निवारण के लिए किये गये सरकारी प्रयासों की प्रभाविकताओं व नीतियों के क्रियान्वयन की जांच करना।
- प्रतिदर्श सर्वेक्षण व्दारा कुपोषण के स्तर की जांच करना
- कुपोषण के प्रति समुदाय के नजरिये को जांचना।
- संबंधित विभागों के बीच में परस्पर समन्वय की स्थिति की जांच करना – नीति और जमीनी स्तर पर।
- सरकार (राज्य / केन्द्र) के पोषण के प्रति दृष्टि और नजरिया का विश्लेषण करना।

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा की स्थिति ज्यादा समस्याजनक है, और कुपोषण से होने वाली मौतों का प्रतिशत अपेछाकृत अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र के जिले एवं ब्लाक अनुसार मुख्य जातियां –

क	जिला	जनपद	मुख्य जातियां
1	छतरपूर	नौगांव	दलित एवं सहरिया जनजाति
2	श्योपुर	कराहल	सहरिया जनजाति
3	झाबुआ	पेटलावद	भील जनजाति
4	धार	धरमपुरी	भील एवं भिलाला जनजाति
5	खंडवा	खालवा	कोरकू
6	सिवनी	उरई	गोंड एवं मेहरा जनजाति

क	जिला	जनपद	मुख्य जातियां
7	सीधी	कूसमी	गोंड एवं बैगा जनजातियां
8	डिंडोरी	समनापूर	बैगा

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्न रहें –

मोटे तौर पर इस अध्ययन में नीतिगत मुद्दे, कुपोषण का फैलाव एवं कारण, आंगनवाड़ी में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं का स्तर, पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग के बारें में हमने जानकारियों का विश्लेष्ध किया।इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार रहें–

- प्रदेश में 30 साल पूर्व शुरू की गयी आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का फैलाव व संरचनात्मक विकास हुआ हैं। हर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की स्थानीय स्तर पर नियुक्ति की गयी है जो महिलाओं एवं प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम कर रही है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की एक ढांचागत व्यवस्था स्थापित हैं, जिससे आंगनवाड़ी के संचालन में दक्षता बढ़ी है, पर रिकार्ड लेखन तथा बच्चों एवं मां के पोषण पर इस प्रशिक्षण का व्यापक असर दिखने के लिए अभी ठोस प्रयास की जरूरत है।
- किसी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या उसके लिए सबसे बड़ा संसाधन आधार(Resource Base) होती है जिससे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होती है। इस दृष्टि से प्रदेश स्तर पर जनसंख्या के आधार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्तमान में कोई सम्यक ठोस योजना नहीं बनायी जा सकी है जिससे यह निश्चित हो सके कि प्रदेश का हर बच्चा स्वस्थ एवं पोषित हो।
- नीति, नियम और निर्देश स्तर पर पूरी तरह से तालमेल होना अभी शेष है।
- आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चों की संख्या के लिए कोई पैमाना अभी तक सुनिश्चित हो सका है, अध्ययन में शामिल गांवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 41 में से 12 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या 80 एवं 100 से उपर है। इससे बच्चों की देखरेख एवं उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए गतिविधियां कराना कार्यकर्ता के लिए चुनौतीपूर्ण है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बसाहट के लिए एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना आवश्यक है जबकि अभी पूर्ण रूप से हर गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं हो पाये है।
- गांव स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां पर्याप्त रूप से की गयी हैं पर परियोजना स्तर पर कई पद रिक्त है। प्रदेश में जहां 96 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे हुए हैं, वहीं सुपरवाइजर के 26 एवं परियोजना अधिकारी के 29 प्रतिशत पद रिक्त है जिससे पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों पर सुपरवाइजर गांव में 2 से 3 माह के अंतराल पर विजिट कर पाती हैं।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण पूरे प्रदेश में नहीं हो सका है। 8 जिलों के प्रतिदर्श केन्द्रों के आधार पर अभी भी 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है जिससे केन्द्रों के संचालन एवं पूरक आहार के रखरखाव में बाधा पहुंच रही है। पूर्व से निर्मित भवनों में भी 25 प्रतिशत की हालत उपयोग के योग्य नही है।
- 40 गांवों में 670 लोग जिनमें 418 महिलाएं एवं 251 पुरूष शामिल है, से चर्चा के आधार पर लोगों की खाद्य असुरक्षा, रोजगार की कमी, गरीबी, क्रयशक्ति का कमजोर होना, अशिक्षा, साफ पेयजल की कमी आदि कुपोषण के मुख्य कारण बताये गये।
- लोगों का कहना है कि कुपोषण को दूर करना सरकार, समाज एवं परिवार सबकी जिम्मेदारी है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के लिए मजबूत प्रयास करे। आंगनवाड़ी केन्द्रों के बेहतर संचालन से भी कुपोषण नहीं दूर किया जा सकता। लोगों का

यह कहना है कि हमारे लिए तो मुख्य बात गरीबी एवं काम न मिलना है, यदि हमें वर्ष भर काम मिले तो हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे।

- सभी 40 गांवों में समूह चर्चा के आधार पर यह बात सामने आयी कि काम चाहने वालों को वर्ष में 3 से 8 महीने तक काम की कमी रहती है, विशेषकर वर्ष ऋतु के दरम्यान 4 माह तो काम मिलता ही नहीं है।
- गांव स्तर पर सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण संस्थायें भी कमजोर ही विकसित हो रही हैं जिनसे बेहतर परिणाम नहीं आ पा रहे हैं।

स्वास्थ्य व पोषण के मुद्दे पर राजनैतिक संवेदनशीलता कम होने व समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण आंगनवाड़ी एक मजबूत संस्था के रूप में विकसित नही हो पायी है जिससे संवैधानिक मंशा एवं परियोजना के लक्ष्य पूरे नही हो पा रहे है।

पानी के निजीकरण का विरोध

वैश्वीकरण व बाजार व्यवस्था की मार पानी जैसे जीवन जीने के आवष्यक प्राकृतिक संसाधान पर भी दिख रहा है। सरकार ने बाजार के दबाव में आकर अपने लोक कल्याणकारी जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींचना शुरु किया और पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बाजार को सौपना प्रारम्भ कर दिया हैं सम्पर्क ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए पानी पर काम करने वाले देष के अन्य प्रमुख संगठनों के साथ मिलकर मध्यप्रदेष जल बिरादरी के तहत पानी के नीजिकरण का विरोध किया। जल बिरादरी का मुख्य उद्देष्य लोगों को जल संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए जागृत करना, पानी पर काम करने वाले समूहों/व्यक्तियों को संगठित करना ताकि एक दूसरे के अनुभवों को आपस में बांटा जा सके तथा सरकार पर लोक आधारित जलनीति बनाने के लिए दबाव बनाना था। जल बिरादारी के उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों में जागरुकता लाना जरुरी था।

सम्पर्क ने पानी के मुद्दें पर जागरुकता व जन चेतना फैलाने के लिए प्रदेष के विभिन्न स्थानों पर कार्यषालाएं की। जल संरक्षण के मामले में सम्पर्क की सोच है कि जल एक सामुदायिक संपदा है। इस पर समाज का अधिकार सदियों से रहा है तथा यह खरीद फरोक्त जैसी बाजारू प्रक्रिया से सर्वथा दूर है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में पानी के व्यापार को बढ़ावा देने वाली व पानी पर से समाज का हक छीनने वाली नीतियां बना रही है। इसी मद्देनजर सम्पर्क ने अपना जागरूकता अभियान संचालित किया है।

मतदाता जागरूकता अभियान

मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय के पंचायतों का तीसरा चुनाव 2005 में हुआ । इन पंचायत चुनाव के दौरान हमने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान हमने लोगों से अपील की कि वे अपने लिए प्रतिनिधि चुनते समय किन बातों का ध्यान रखे। इस अभियान के दौरान चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं को चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नुक्कड़ नाटक व कार्यशालाओं के माध्यम से दी। जिसमें नामांकन पत्र भरने से लेकर वोट डालने तथा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रियागत व तकनीकी बातों को समझाया गया। चुनावों में जो अनारंक्षित सीटें है वहां से महिला भी चुनाव लड़ सकती है। इसे लोगों के सामने स्थापित किया।

हमारे अभियान का चुनाव में सार्थक प्रभाव देखने को मिला। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंचायत के विभिन्न स्थानों के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज की और चुनाव भी जीत सकी।

उपलब्धि :

हमारे जन पैरवी के कामों की उपलब्धि हम इस रुप में पाते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर हमने सरकार व जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफलता पायी है। हमारा मानाना है कि इस माध्यम से हम लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केन्द्र में लाने में सफल हुए तो वह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार के जन पैरवी से स्वैच्छिक संस्थाओं और जन संगठनों को करीब आने का मौका मिला है जिससे उनकी एक दूसरे के काम के तरीको और प्रयासों को समझने में मदद मिली । इस प्रकार सम्पर्क के काम का भी विस्तार प्रदेष के अन्य हिस्सों में हो पाया। मुख्य रुप से हम अपनी उपब्धियां इस प्रकार देखते हैं–

- पंचायतों की ग्राम सभाओं में लोक कल्याणकारी योजनाओं की मांग उठने लगी।
- ग्रामसभा के ऐजेण्डे में लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे शामिल हुए और सभाओं में महिला पुरूषों की भागीदारी भी बढ़ी है।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों का संगठन उभरा है।
- अधिकारों से जुड़े मसलों पर चरणबद्ध ढंग से काम किया तथा इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला।
- कर्ज के मुद्दें पर सरकार का ध्यान गया है और बैंकों ने भी स्वीकार किया हें कि गड़बडिया हुई हैं । मामले की जॉच चल रही है।
- बी. टी. कॉटन के खिलाफ माहौल बना है और किसान कम्पनी के खिलाफ जागरुक हुए हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर बी. टी. के मामले को उठाने से मीडिया का भी ध्यान इस मुद्दें की गंभीरता की तरफ गया है और जन जागरुकता में वे सहयोग कर रहें है।
- किसानों से जुड़े मुदद्ों पर कार्यरत अन्य संगठनों के साथ जुड़ाव बढ़ा है और इस लड़ाई को व्यापकता मिली है।
- जैव संपदा संरक्षण के प्रति ग्रामीण जागरूक हुए है।
- जल को समाज की सम्पत्ति बनाए रखने के लिए ग्रामीण सरकार पर दबाव बनाने की बात मुखरता से करते है।

सूचना और जानकारियों की ताकत

आज समाज में सूचना और जानकारियों की ताकत सर्वमान्य है। समाज के आगे बढ़ने या पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह उस तक सूचनाओं की पहुँच भी होती है। सम्पर्क ने अपने कार्यक्षेत्र में सूचनाओं की इस ताकत का इस्तेमाल आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए करने की रणनीति बनायी।

हमारें सूचना और जानकारी के प्रसार के तीन पक्ष हैं। पहले पक्ष में हम गॉव के लोगों को उनके हित की सूचनाएं स्थानीय लोक कला के माध्यम से पहुँचाते है। साथ ही हम उस सूचना का विश्लेषण करने में उनकी मदद करते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को व्यापक सन्दर्भ में समझ सके और उसके हल की तरफ बढ़ सके।

दूसरा पक्ष स्थानीय सूचना को व्यापक समाज के सामने रखने की पहल करना है। इसमें हम आदिवासी समाज की समस्याएं , उनकी अच्छाईयां, जीवन से जुड़े मामलें, सरकारी नीतियों व योजनाओं के कियानवयन के जमीनी अनुभव, गांव के विकास की जरुरतों से जुड़ी सूचनाएं नीति नियन्ताओं और व्यापक समाज के सामने रखी जाती है जिससे आदिवासी समाज के हित में पैरवी की जा सके।

तीसरे स्तर पर हम सूचनाओं को विकसित करते हैं जिससे सरल भाषा में लोगों तक जानकारियां पहुँचायी जा सके । इसके लिए हम प्रकाशन तथा ऑडियों विजुअल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें सरल स्थानीय भाषा में पुस्तिकाओं के प्रकाशन के साथ विडियों फिल्में तथा गाने बनाना शामिल है।

पिछले वर्षो मे ंसम्पर्क द्वारा तैयार सूचना प्रसार के उपकरणों का विवरण इस प्रकार से है–

प्रकाशन :

विगत समय में प्रकाशित सम्पर्क के प्रकाशन

पुस्तकें व पत्रिका	
त्रैमासिक पत्रिका गॉव की बात	सम्पर्क के त्रेमासिक पत्रिका में हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारी को हम समाज के सामने रखते है। इसमें ग्रामवासियों द्वारा किये गये सकारात्मक प्रयासों का उल्लेख होता है।
बॉ नी बात	भीली कहावत व कहानियों का भीली व हिन्दी भाषा में इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ताकि युवा पीढ़ी अपनी परम्परागत ज्ञान से परिचित हो सके।
घरेलु जैव कीटनाशक मार्गदर्शिका	रासायनिक खादों व कीटनाशकों के खिलाफ हमारी मुहिम को बल प्रदान करने के लिए विकल्प के रूप में जैविक कीटनाशक बनाने की विधियों पर मार्गदर्शिका।
लोक परम्पराओं के रास्तें विकास की यात्रा	आदिवासी लोक परम्पराओं की अच्छी पद्धतियों को उभारने व कुरूतियों को मिटाने के बारे में सम्पर्क के पहल का दस्तावेज।
मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक अध्ययन	राशन की दुकानों पर मिलने वाले सस्ते अनाज की काला बाजारी उजागर करती हुई अध्ययन रिपोर्ट।
अनौपचारिक शिक्षण मार्गदर्शिका	शिक्षा के वैकल्पिक पद्धति व अनौपचारिक शिक्षा के तरीके बताती पुस्तिका

पुस्तकें व पत्रिका	
बी.टी.कॉटन भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात	बी.टी.कॉटन के जाल में फॅसें किसानों की स्थिति बताती पुस्तक
किसान सुरक्षा कवच	किसानों के हितों के बारें में कानूनी प्रावधानों व उनके अधिकारों को सामने लाने का प्रयास।
आधी दुनिया भूखी क्यों	गरीबी के मुल कारणों पर प्रकाश डालती पुस्तक।
सरल पशु चिकित्सा	घरेलु व कृषि उपयोगी पशुओं की देखभाल व चिकित्सा पर आधारित सरल भाषा में तैयार मार्गदर्शिका
कितना रेत कितना पानी	झाबुआ जिले में उद्वहन सिंचाई योजना के गोरख धन्धे तथा कर्जदार किसानों की स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट।

जन संचार व जागरुकता के लिए बनी डाक्यूमेंट्ररी फिल्में :–

जन संचार व जागरुकता के लिए बनी डाक्यूमेंट्ररी फिल्में	
बच्चे मन के सच्चे	झाबुआ जिले के अनेक गांवों में आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ने का मतलब स्कूल जाने भर से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में सम्पर्क संस्था ने नवाचार शिक्षा पद्धति के जरिये आदिवासी बच्चों के सामने सार्थक शिक्षा का एक बहुत विस्तृत फलक प्रस्तुत किया है। फिल्म नवाचार शिक्षण पद्धति के कुछ आयामों पर रोशनी डालती है। फिल्म में बच्चों के मनोविज्ञान को भी समझने का प्रयास किया है। फिल्म की अवधि 15 मिनट है।
पानी के लिए गोलबन्द गॉव	डेनिडा परियोजना के तहत जलाच्छादन विकास का बड़ा काम सरकार के विभिन्न विभाग व स्वयं सेवी संस्था सम्पर्क की साझा भागीदारी में क्रियान्वित किया गया। फिल्म में जलाच्छादन विकास के महत्वपूर्ण कार्य में जनभागीदारी व समूह आधारित क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिल्म की अवधि 16 मिनट है।
पानी की जुगत में आम आदमी	जल की खेती करने के लिए संस्था ने सदेव वातावरण बनाया एवं ग्रामीण समाज को इसके लिए तैयार किया कि जलसंग्रहण के पवित्र कर्म को धर्म मानकर जुट जाए। फलतः अनेक गावों में जल सहभागिता के आधार पर जल संरचनाए तैयार हो गई फिल्म इन्हीं प्रयासों व इनके परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारिया देती है।
सहयोगी नुक्ता	आदिवासी समाज में बरसों पहले किसी की मृत्यु होने पर मृत्युभोज के आयोजन के लिए 5–5 रू. व कुछ सेर आटा/दाल/चावल एकत्र करने की सुपरम्परा थी ताकि शोक संतप्त परिवार पर बोझ नहीं पड़े। धीरे–धीरे यह परम्परा भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। सम्पर्क ने इस सुपरम्परा को पुर्नस्थापित करने के प्रयास किए है फिल्म इन्हीं प्रयासों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालती है।
यूं छंटा अंधेरा	ग्रामीणों द्वारा संचालित सौर प्रकाश ऊर्जा ईकाईयों व उनकी स्थानीय व्यवस्था के बारें में फिल्म।झाबुआ जिले के पेटलावद विकास खण्ड के गांवों में 'सम्पर्क' द्वारा यू.एन.डी.पी. के सौजन्य से आदिवासी गांवों में सौर प्रकाश इकाईयां लगाने को इस फिल्म में विस्तार से दिखाया गया है फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ग्राम ऊजा एवं पर्यावरण समिति का प्रबंधन महिलाएं कितनी कुशलता से करती है।

साथी हाथ बढ़ाना	आदिवासी समाज में बरसों से प्रचलित और अब बाजारवादी सोच के चलते विलुप्त होती पारस्परिक सहयोग की परम्परा अडजी पडजी पर आधारित दस्तावेजी फिल्म जिसमें बताया गया है कि संस्थागत स्तर पर इस सुपरम्परा के लौटने के क्या प्रयास किए गए है। फिल्म इन प्रयासों के परिणामों पर भी प्रकाश डालती है। फिल्म की अवधि 24 मिनट है।
कतरा–कतरा रोशनी के लिए	ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सोजन्य से सम्पर्क संस्था द्वारा वर्ष 2005 में पेटलावद विकासखण्ड के 8 गांवों में आदिवासी समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ मिलकर आयजनित गतिविधियों का क्रियांवयन किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। फिल्म इसी विकास प्रक्रिया के विभिन्न आयामों का चित्रण करती है। फिल्म में यह बताया गया है कि किस तरह ग्रामीणों ने अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। बकरी पालन, पपीता बागवानी एवं सायकल मरम्मत जैसी गतिविधियों के हितग्राही चयन से लेकर उनके सुचारू क्रियावयन की पूरी प्रक्रिया को फिल्म बखूबी बताते है। फिल्म की अवधी 15 मिनट है।
गॉव का उत्सव	गॉव की अपनी परम्परा होती है जिसमें वे आपने जीवन को सहज बनाते हुए रोजमर्रा की समस्याओं से नीजात पाने के तरीके निकालते हैं साथ ही रकरसता व नीरसता को भी तोड़ते हैं। धीरे – धीरे ये उत्सव अपने रंग को खोते जा रहें हैं। सम्पर्क का प्रयास इन उत्सवों को अपने मूल रुप में संयोजित करने की है। फिल्म मे ग्रामीणों के साझा उत्सव के बारे में विस्तार से बात की गई है।
पशुओं की सेहत के पहरूए	मालवा–अंचल में लगातार कम होती पशुओं की संख्या के पिछे कई कारण है उनमें एक है पशु चिकित्सा सेवाओं का अभाव। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एसे कई लोग है जो बड़ी लगन से देशी पद्धति से पशुओं की चिकित्सा कर रहे है। परंतु उनकी उतनी पूछ परख नहीं है। प्रस्तुत फिल्म इन्हीं ग्रामीण पशु वैद्यों के प्रयासों एवं उनकी क्षमता का रेखांकन करती है। इस फिल्म में उन स्थितियों का खुलासा भी किया गया है जिसके चलते जड़ी बुटियों के जानकार पशु वैद्यों को हमारे तंत्र में कम जगह मिलती है। फिल्म की अवधि 14 मिनट है।
सफेद सोने का सच	जैव संवद्धित कपास बी.टी. के प्रचलन से मालवा–निमाड़ सहित समूचे म.प्र. के लाखों किसानों को भारी घाटा हुआ। बीज निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनी के आक्रामक प्रचार अभियान के चलते बी.टी. कपास के प्रति किसान आकर्षित हुए परन्तु उनके हाथ बर्बादी के सिवा कुछ न लगा इस फिल्म में बी.टी. बाधित किसानों की व्यथा के साथ बी.टी. बीजों के विरूद्ध बीज स्वराज अभियान द्वारा छेड़े गए देशव्यापी संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है फिल्म की अवधि 16 मिनट है।
बड़ पीपल के छॉव में	आदिवासी समाज में प्रचलित रूढ़ियों को खत्म करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करती ऐसी फिल्म जिसमें सुपरम्पराओं को पुर्नप्रचलन में लाने की पहल की भी पड़ताल की गई। फिल्म में आदिवासी समाज के सांस्कृतिक सरोकारों का भी परिचय मिलता है। फिल्म की अवधि 15 मिनट है।
पोस्टर	
दापा प्रथा, चौपाल का न्याय, कर्ज बना जी का जंजाल, सूखा कल आज और कल, पंचायत राज सशक्तिकरण, लोक कल्याणकारी योजना, निर्धूम चूल्हा, उद्हवन सिंचाई योजना, बर्वाद का बिछौना, दीन दयाल उपचार योजना आदि के बारें में पोस्टरों का प्रकाशन।	

पुस्तकों / फिल्मों के मुख पृष्ठ

शोध व अध्ययन

सम्पर्क अपने विकास , सुधार व जन पैरवी के कामों के लिए सतत रुप से शोध व अध्ययन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। किसी भी मुद्दें पर हस्तक्षेप के पूर्व हम मुद्दें से संबंधित तथ्यों का संकलन कर उसका विश्लेषण करते है। विगत समय में सम्पर्क द्वारा किए गए मुख्य शोध व अध्ययन इस प्रकार से हैं –

- बेजा कर्ज मुक्ति
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति
- बी.टी. कॉटन
- ऑगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति
- बीटी II के ट्रायल का अनुश्रवण/अध्यय

The status of small water harvesting structure in pumpawati subbesine, Petlawad, Jhabua-

आंतरिक तैयारी

क्षमता विकास के प्रयास

सम्पर्क सतत रुप से अपने साथियों के क्षमता विकास के लिए प्रयन्तशील रहता है। हम क्षेत्र में लोगों के क्षमता वर्धन के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के भी क्षमताओं के विकास के लिए प्रयास करते है। विगत दो वर्षो में हमारें साथियों ने निम्न क्षमता विकास की गतिविधियों में भागीदारी की।

प्रशिक्षण का नाम	दिनांक	आयोजक / स्थान	संस्था के प्रतिभागी
भोजन का अधिकार	14 से 16 अक्टुबर 2005	सम्पर्क , रायपुरिया	विजय भाटी, विनोद मेश्राम
एम. वी. फाउण्डेशन हैदरबाद का शिक्षा अभियान के तहत् शैक्षणिक भ्रमण	31 नवम्बर से 8 दिसम्बर	हैदराबाद	विजय भाटी राजेश देशमुख सुषमा महाजन व अन्य 10 कार्यकर्ता
शिक्षा अभियान हेतु क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण	15 से 25 दिसम्बर 2005	एक्शन एड़, भोपाल	विजय भाटी, सुषमा महाजन, राजेश देशमुख व अन्य 10 कार्यकर्ता
B.T. Cotton orientation workshop	15 अगस्त 2005	राऊ, इंदौर	राजेश देशमुख, निलेश यादव
PRA प्रशिक्षण	5 से 8 अगस्त 2005	भोपाल ''समर्थन''	राजेश देशमुख, विनोद मेश्राम
भोजन का अधिकार अभियान, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण।	14 से 15 जुलाई 2005	सम्पर्क ग्राम, रायपुरिया	राजेश देशमुख, विनोद मेश्राम
Covention on children's rights to food campaign.	6 से 10 अप्रैल 2006	हैदराबाद	राजेश देशमुख, शिरिष वर्मा
महिला प्रतिनिधियों के साथ सम्बन्ध बनाने हेतु संचार कार्यशाला	25 अप्रैल से 1मई 2004	अलारिपू, दिल्ली	विनोद मेशराम
भोजन का अधिकार कैंपेन फेलोशिप वर्कशाप	13 से 15 फरवरी 2004	सम्पर्क, झाबुआ	विनोद मेश्राम
वन व राजस्व भूमि के कानून पर कार्यशाला	29 जून 2004	बैतूल	विनोद मेश्राम, लक्ष्मण मुणिया
सार्वजानिक वितरण प्रणाली, अध्ययन पर कार्यशिला	12 से 13जुलाई 2004	सम्पर्क	विनोद मेश्राम
जेण्डर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला	15 से 17दिसम्बर 2004	एक्शन एड, वाल्मी भोपाल	विनोद मेश्राम, सुषमा महाजन, लक्ष्मण मुणिया
पंचायत चूनाव पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान प्रशिक्षण कार्यशाला	13 से 15सितम्बर 2004	भोपाल	विनोद मेश्राम, देवचंद कटारा
भूमण्डलीकरण पर कार्यशाला	6 नवम्बर 2005	इन्दौर	विनोद मेश्राम
रोजगार गारंटी तथा सूचना अधिकार पर कार्यशाला	16 जनवरी 2006	सम्पर्क	विनोद मेश्राम, राजेश देशमुख
महिला विकास कार्यशाला की तैयारी हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला	14 से 17 फरवरी 2006	द हंगर प्रोजेक्ट , भोपाल	सुषमा महाजन विनोद मेश्राम, देवचंद कटारा

प्रशिक्षण का नाम	दिनांक	आयोजक / स्थान	संस्था के प्रतिभागी
माइक्रोफाइनेंस प्रबन्धन प्रशिक्षण	26 सितम्बर से 01 अक्टुबर 2005	आनन्द(इरमा), अहमदाबाद	सुषमा महाजन
जल ग्रहण विकास समितियों के लिए मेन्युअल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण	3 से 4 जनवरी 2005	रतलाम	सुषमा महाजन, नीरज साहू
शिक्षा रणनीति के बारे में प्रशिक्षण	16 से 25 दिसम्बर 2005	एकलव्य, भोपाल	सुषमा महाजन

प्रशासकीय पहलु

सम्पर्क अपने कार्य की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रशासन व व्यवस्थाओं पर भी पूरा ध्यान देता है। हमने संस्था की आंतरिक संरचना में लोकतांत्रिक आधार पर कई सारी समितियों की रचना की है जो विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं और निणर्य प्रक्रिया में संस्था के प्रबन्धन तंत्र को सहयोग देती है। संस्था के प्रमुख प्रशसकीय विशिष्टताए इस प्रकार हैं–

- सम्पर्क में सभी कार्यकर्ताओं को वेतन/मानदेय के अतिरिक्त पी. एफ. , गैच्युटी की सुविधा प्राप्त है।
- सभी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है।
- सप्ताह में एक दिन का अवकाश रखा जाता हैं यदि कोई कार्यकर्ता अवकाश के दिन भी कार्य करता है तो उसका अवकाश अर्जित कर लिया जाता है जिसे वह अपनी सुविधा से कभी भी प्राप्त कर सकता है।
- कार्यकर्ताओं के लिए आंतरिक ऋण की व्यवस्था है जिसे वेतन के हिस्से के रुप में काट लिया जाता है।
- ऋण केवल उत्पादक कार्यो व आपातकालिन स्थिति के लिए ही दिया जाता है। ऋण के व्याज व वापसी की पद्वति आवश्यकता के अनुसार तय की जाती है।
- महिला कार्यकर्ताओं को प्रसूति अवकाश (तीन महिने) सवेतन दिया जाता है। पिता को 15 दिन का अवकाश दिया जाता है।
- संस्था के पास अपना पुस्तकालय, अतिथि गृह भोजन कक्ष तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कार्यकर्ता कर सकते हैं।
- कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- संस्था में खरीद, मतभेद प्रबन्धन , मेस संचालन के लिए कार्यकर्ताओं के बीच से बनायी गई समितियां है।
- वर्ष में एक बार समीक्षा बैठक की जाती है जिसमें पूरे साल के काम का लेखा जोखा तैयार किया जाता है।
- समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ता की पीछले वर्ष की उपलब्धियों व प्रर्दशन के आधार पर नयी जिम्मेदारी सौपी जाती है और उसके वेतन में वृद्दि की जाती है।
- संस्था में खुलापन लाने के लिए सभी कार्यकर्ता को संस्था की अच्छाईयां तथा कमीयों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे सभी संस्था के विकास के लिए क्या सेचते हैं और क्या कर सकते हैं को जाना जा सके। इसके आधार पर आगामी रणनीति तय की जाती है।

नेटवर्को के साथ जुड़ाव

हम अपने मुद्दों और काम के विस्तार के लिए अन्य स्थानों पर चल रहे विकास कार्यक्रमों व स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ जुड़ाव को सतत रुप से बढ़ाते रहते हैं। सम्पर्क ने विगत समय में झाबुआ के अपने कार्यक्षेत्र के बाहर भी भोजन के अधिकार, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, पशुधन विकास, शिक्षा के सार्वभौमिकरण व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कृषि जैसे क्षेत्र में दखल के खिलाफ मध्यप्रदेश व अन्य स्थानों में कार्यरत साथियों के साथ मिलकर हस्तक्षेप किया है। इससे न केवल हम मुद्दों का विस्तार देखते हैं वरन् सबके सामुहिक ताकत से अपने हस्तक्षेप को ज्यादा प्रभावी बनाने की बात की जाती है। विगत समय में सम्पर्क का जुड़ाव विभिन्न मुद्दों पर निम्न नेटवर्को के साथ रहा –

- ग्लोबल रेन वॉटर हार्वेसिंग इनिशिएटीव, दिल्ली
- सम्पदा, दिल्ली
- कोलेशन फॉर जी. एम. फ्री इण्डिया, दिल्ली
- राष्ट्रीय जल बिरादरी, जयपुर
- मध्यांचल स्वैच्छिक संस्था फोरम, भोपाल
- बीज स्वराज अभियान, म.प्र.
- भोजन का अधिकार अभियान समूह, भोपाल
- लोक जागृति मंच, झाबुआ
- बेजा कर्ज मुक्ति अभियान, म.प्र.

हमारे संसाधन सहयोगी

1	एक्शन एड, यू. के.	भोपाल
2	डेनिडा / कृषि विभाग म.प्र. शासन	रतलाम
3	द हंगर प्रोजेक्ट,	भोपाल
4	कासा ,	भोपाल
5	म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	भोपाल
6	एम. पी. वी. एच. ए.	इन्दौर
7	युनिवर्सल बैंक सर्विसेज,	तिलोनियां,
8	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय,	दिल्ली
9	सी. सी. एफ.	दिल्ली
10	डब्ल्यु.ओ.टी.आर	अहमद नगर
11	स्थानीय सहयोगी	

संस्था के बोर्ड सदस्यों की सूची

क्र. से	नाम	पद	पेशा	संस्था से जुड़ाव कब
1.	श्री गिरीराज सिंह	अध्यक्ष	सामाजिक कार्यकर्ता	1990
2.	श्री निलेश देसाई	सचिव	सामाजिक कार्यकर्ता	1987
3.	सुश्री श्वेता विंचुरकर	कोषाध्यक्ष	शिक्षिका	2002
4.	श्री देवीलाल व्यास	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता	2002
5.	डॉ. जे. के. जैन	सदस्य	डॉक्टर	2002
6.	श्री राकेश देसाई	सदस्य	नौकरी	1987
7.	श्री विनोद परमार	सदस्य	नौकरी	1987

संस्था के कार्यकर्ता

क्र.	कार्यकर्ता का नाम	शिक्षा	विभाग	कार्यानुभव
1.	श्री बापू अमलियार	साक्षर	कार्यालयीन सहयोगी	6 वर्ष
2.	श्री भंवर मूणिया	10 वीं	एस.एच.जी. प्रबंधन	5 वर्ष
3.	श्री चंद्रपाल सिंह	एम.एस.सी.एग्रीकल्चर	समन्वयक	6 माह
4.	श्री देवचन्द्र कटारा,	6 वीं	समूह संगठक	7 वर्ष
5.	श्री धमेन्द्र सिसौदिया,	9 वी	वाहन चालक	5 वर्ष
6.	श्री दीपक परमार	बी.एस.सी. कम्प्यूटर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2 वर्ष
7.	श्री गेंदालाल उपाध्याय	एम. ए. सोशल वर्क,	प्रशासक व गैर पारम्परिक उर्जा	7 वर्ष
8.	डॉ. जी. डी. वर्मा,	बी.ए.एम.एस., एम. ए.,	स्वास्थ्य,	7 वर्ष
9.	श्री गणेश भूरिया	10वी	समूह संगठक	5 वर्ष
10.	**श्री हरीश पंवार**	बी.ए.,	समूह संगठक व फिल्म निर्माता	14 वर्ष
11.	**श्री हरिशंकर मालवीय,**	एम.ए. सोशल वर्क	जल संग्रहण प्रबंधन	1 वष
12.	**श्री हरिचरण दास वैष्णव**	बी.टेक. एग्रीकल्चर	समन्वयक	6 माह
13.	**श्री हरिराम मैड़ा**	9वीं,	स्वास्थ्य कार्यक्रम	14 वर्ष
14.	श्री हुमलीबाई मैड़ा	साक्षर,	महिला सशक्तिकरण	9 वर्ष
15.	श्री हिन्दू सिंह गरवारल	8 वीं	समूह संगठक	5 वर्ष
16.	श्री जगदीश पाटीदार	8 वीं	वाहन चालक	10 वर्ष
17.	श्री जगदीश भूरिया	8वीं	सोलर ऊर्जा व संचार दल सदस्य	6 वर्ष
18.	श्रीमती ज्योत्सना गरवाल	8 वीं	समूह संगठक	4 वर्ष

क.	कार्यकर्ता का नाम	शिक्षा	विभाग	कार्यानुभव
19.	श्री कन्हैयालाल सोनी	एम.ए. सोशल वर्क	समूह संगठन डेनिडा परियोजना	4 वर्ष
20.	सुश्री कमला पारगी	8 वीं	समूह संगठक	3 वर्ष
21.	श्री कैलाश मेड़ा	8 वीं	समूह संगठक	8 वर्ष
22.	श्री कालूसिंग डिंडौर	8 वीं	समूह संगठक	8 वर्ष
23.	श्री लक्ष्मणसिंह मुणिया	9 वीं	समूह संगठक	14 वर्ष
24.	श्री मोहनलाल खड़िया	8 वीं	समूह संगठक	5 वर्ष
25.	श्री मन्नु सिंह वाखला	10 वीं	सोलर ऊर्जा	4 वर्ष
26.	सुश्री मेरी थॅामस	एम.ए.सोशल वर्क	स्पॉन्सरशिप कॉर्डीनेटर,	1 वर्ष
27.	श्री नाथुलाल मुणिया	बी.ए.	समूह संगठक	2 वर्ष
28.	श्री निलेश देसाई	एम.ए.सोशल वर्क	संस्था प्रबंधक	21 वर्ष
29.	श्री निलेश यादव	एम.ए.सोशल वर्क	समूह संगठक	1 वर्ष
30.	श्री नन्दू गरवाल	12 वीं	समूह संगठक	3 वर्ष
31.	श्री नीरज साहू	एम.ए. समाजशास्त्र	समूह संगठक डेनिडा परियोजना	3 वर्ष
32.	श्रीमती प्रक्षाली देसाई	एम.एस.सी., बी.एड़.	सम्पर्क बुनियादी शाला संचालिका	14 वर्ष
33.	श्री पुनमचंद भाभर	8 वीं	शिक्षा कार्यक्रम	9 वर्ष
34.	श्री पंकल जाधव	एम.ए.सोशल वर्क	समूह संगठक	1 वर्ष
35.	श्री रेवेन्द्र येडे	एम.ए.सोशल वर्क	एस.एच.जी. प्रबंधक	4 वर्ष
36.	श्री रमेश मेड़ा	साक्षर	निर्धूम चूल्हा	8 वर्ष
37.	श्री रमेश सिंगाड़	स्नातक	समूह संगठक	5 वर्ष
38.	रामचंद गामड़	8 वीं	समूह संगठक	3 वर्ष
39.	श्री रतन मुणिया	10 वीं	स्वयं सहायता समूह	4 वर्ष
40.	श्री आर.सी. चौधरी	बी.कॉम	एकाउण्टेंट	14 वर्ष
41.	श्री राजेश देशमुख	एम.ए.सोशल वर्क	समूह संगठक	1 वर्ष
42.	श्री सुखदेव यादव	एम.ए.सोशल वर्क	मृदा व जल संरक्षण	6 वर्ष
43.	श्री सुरेन्द्र गेहलोत	बी.कॉम.	एकाउण्टेंट	1 वर्ष
44.	श्री शिरिष वर्मा	एम.ए.सोशल वर्क	समूह संगठक	1 वर्ष
45.	श्री सुरेन्द्र मालवीय	बी.ए.	समूह संगठक	1.5 वर्ष
46.	सुश्री शितल लांभाते	एम.ए.सोशल वर्क	समूह संगठक	8 माह
47.	सुश्री सुषमा महाजन	एम.ए.सोशल वर्क, बी.एड	समूह संगठक डेनिडा परियोजना	2 वर्ष
48.	श्रीमती सुनीता सिंगाड	12 वीं.	एस.एच.जी.	1.5 वर्ष
49.	श्री विनोद मेश्राम	एम.ए.सोशल वर्क	महिला सशक्तिकरण	3 वर्ष
50.	श्री विजय भाटी	एम.ए. हिन्दी	शिक्षा कार्यक्रम	3 वर्ष
51.	श्री वरसिंग निनामा	8 वीं	समूह संगठक	1 वर्ष

सम्पर्क का वित्तीय विवरण

SAMPARK SAMAJ SEVI SANSTHAN
CONSOLIDATED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2006

LIABILITIES		AMOUNT
Capital Fund		1764913.00
Corpus Fund		825500.75
Accumulated Fund :		
Opening Balance	1459952.30	
Less: Defetite for the Year	316685.11	1143267.19
Staff Welfare Fund		294762.00
Gratuity Fund		348567.00
Gr. Loan Revolving Fund - A.A.		734514.00
Gr. Loan Revolving Fund - CASA		111301.00
Gr. Revolving Fund - CF - IGP		500600.00
Gr. Loan Revolving Fund - SAMPARK		17547.00
Grant Unutilised		
MPRLP	1875.00	
ACTION AID	3280.00	
ACTION AID	1225563.00	
CASA	88344.78	
THE HUNGER	2288.00	
UBS	137242.00	
WOTR	33638.00	
CCF	1506.00	1493736.78
State Bank of Indore - FDR Loan A/c		9454.91
Salary Payable-MPRLP		39250.00
Loan & Advances (As per Annexure A)		257399.84
TOTAL		**7540813.47**

ASSETS	AMOUN
Fixed Assets (Annexure B)	1764913.0
L.I.C. Gratuity Fund	348567.0
Fixed Deposits in Banks	1469596.0
Post Office M.I.S.	195000.0
Post Office Time Deposit	5000.0
Post Office R.D. A/c	24700.0
Grant Receivable :	
R.W.H.T.	208859.0
Challenge Fund	78650.0
MPRLP	49871.0
ACTION AID	359984.55
CASA	99474.00
CCF	89000.00
Loan & Advances (As per Annexure A)	223858.91
Samiti Revolving Fund - Motee	855649.00
Samiti Revolving Fund-CF (As per Annexure C)	500600.00
T.D.S. (Income Tax)	4008.00
T.D.S. (Income Tax)-C.F.	41212.00
Cash & Bank Balances : (As per Annexure D)	1221871.01
TOTAL	**7540813.47**

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE.

FOR J.P. DAFRIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(PRAKHAR DAFRIA)
PARTNER.
M. No. 402551

DATED : **20-Apr-06**

J.P. DAFRIA & CO. RATLAM CHARTERED ACCOUNTANT

FOR SAMPARK SAMAJ SEVI SANSTHAN
RAIPURIA, M.P.

(NILESH DESAI)
DIRECTOR

SAMPARK SAMAJ SEVI SANSTHAN
CONSOLIDATED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2005.

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
Capital Fund		1805999.00	Fixed Assets (Annexure B)	1805999.00
Corpus Fund		641300.75	L.I.C. Gratuity Fund	247502.00
Accumulated Fund			Fixed Deposits in Banks	1458760.00
Opening Balance	1303654.91		Post Office M.I.S.	195000.00
Add : Surplus for the Year	156297.39	1459952.30	Post Office Time Deposit	5000.00
Staff Welfare Fund		263382.00	Post Office R.D. A/c	9100.00
Gratuity Fund		247502.00	Loan & Advances (Annexure A)	257766.91
Gr. Loan Revolving Fund - A.A.		734514.00	Grant Receivable :	
Gr. Loan Revolving Fund - CASA		111301.00	R.W.H.T.	78779.00
Gr. Revolving Fund - CF - IGP		272500.00	Samiti Revolving Fund - A.A.	734514.00
Gr. Loan Revolving Fund - SAMPARK		17547.00	Samiti Revolving Fund - CASA	103588.00
Grant Unutilised			Samiti Revolving Fund - CF - IGP	272500.00
Action Aid	236573.45		Samiti Revolving Fund - SAMPARK	17547.00
CASA	3016.78		(As per Annexure C)	
UBS	286714.00		T.D.S. (Income Tax)	41212.00
SPWD	20380.00		Cash & Bank Balances :	1673044.61
DANIDA	126434.49		(As per Annexure D)	
Challenge Fund	364224.00	1037342.72		
State Bank of Indore - FDR Loan A/c		121402.91		
Loan & Advances (Annexure A)		187568.84		
TOTAL		**6900312.52**	**TOTAL**	**6900312.52**

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE.
FOR SETHI JAIN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(Stamp: Sethi Jain & Associates, Chartered Accountants, AJMER 305001)

(SANJEEV JAIN)
PARTNER.
M. No. 74660.

AJMER, DATED 4th MAY, 2005.

FOR SAMPARK SAMAJ SEVI SANSTHAN
RAIPURIA, M.P.

(NILESH DESAI)
DIRECTOR

Director
"SAMPARK" M.P.
RAIPURIA (Jhabua)